



# उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(उ० प्र० शासन का एक प्रतिष्ठान)

निर्माण इकाई-आगरा

आई.एस.ओ. 9001: 2015 प्रमाणित

CIN- U 45201 UP 1987 SGC 008642

e-mail:- uppanltd.agra@hotmail.com

पता:- पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा

पत्रांक : ८० / पुआनि / नि.ई.आ. / ई-टेण्डरिंग / 22-23

दिनांक : 1.0.1.3.2.22

## अल्पकालीन-ई-निविदा सूचना (प्रथम कॉल)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद मैनपुरी में विभिन्न थानों में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक: 27.04.2023 को समय 14:00 अपराह्न तक निविदा आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु० में)	निविदा प्रासेसिंग मूल्य (रु० में)	धरोहर धनराशि (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	जनपद मैनपुरी के थाना कुरावली में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य।	408626.00	400.00 + G.S.T. निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति लगाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ पंजीकृत प्रमाण-पत्र, पेनकार्ड, आधार, हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ धरोहर धनराशि (Earnest Money) की यू०टी०आर० प्रपत्र जमा कराना होगा। धरोहर धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई आगरा के उपरोक्त बैंक खाता संख्या: 0193101018810, IFSC Code: CNRB0000193, Canara Bank Jaipur House Colony, Agra. में जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा-282010 में किसी भी कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे तक रु० 118.00 (जी०एस०टी० सहित) नकद देकर दिनांक 26.04.2023 तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर दिनांक: 27.04.2022 के लिए टेण्डर तिथि अंकित हो, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय समय 11.00 बजे से 14.00 तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटी में डाल दिया जाये।
- निर्धारित समय 14.00 बजे के बाद निविदा डालने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- निविदा फार्म में आगणन की लागत से कम प्रतिशत को दर्शाते हुए निविदा भरी जायेगी। किसी टेण्डर में जो भी प्रतिशत निविदा में अंकित किया जाय, उसे स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये। यदि प्रतिशत धनराशि स्पष्ट रूप से अंकित नहीं की जाती है तो टेण्डर फार्म बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। टेण्डर लिफाफे के ऊपर निविदा संख्या का अंकित किया जाना आवश्यक है।
- कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्ष ऋतु को सम्मिलित करते हुए है।
- कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- दीमकरोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य हेतु नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर 10 वर्ष की गारण्टी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
- निविदाओं के खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए अगले कार्य दिवस में न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा कराना एवं अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा कराते हुए अनुबन्ध पूर्ण नहीं होगा तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए अर्नेस्ट मनी जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। जमानत की धनराशि फिक्स डिपोजिट के रूप में ली

- जायेगी। फिक्स डिपॉजिट अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड निर्माण इकाई आगरा के नाम बन्धक होना चाहिए जो 15 माह की तिथि तक मान्य होनी चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- 12 निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
  - 13 यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जॉच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा जिससे वसूली की जायेगी।
  - 14 कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु रू0 100.00 का स्टाम्प पेपर एल-1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा कराना होगा।
  - 15 निविदा डालने के लिए किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
  - 16 आयकर आदि की कटौती नियमानुसार किया जायेगा।
  - 17 जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
  - 18 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
  - 19 निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिनों के अन्दर आगणन के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाना चाहिए। यदि नियत समय के अन्दर कार्य पूरा नहीं कराया जाता है तो पेनाल्टी क्लॉज लागू होगा (क्रमांक-15 के अनुरूप) जमानत धनराशि जब करते हुए टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।
  - 20 **"No cost over Run and Penalty (for time over run) Clause"** लागू होगा। **In case of Non completion of Project within the time given by the client the delay in Completion of Project after given time the Penalty will be charged at rate of 1% per week of Project Cost Subject to maximum of 10% of Cost.**
  - 21 निर्माण कार्य को अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में **Debitable Agency** से कार्य कराया जायेगा, जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
  - 22 निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
    - 1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 25 प्रतिशत।
    - 2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमर्सिबल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का- 30 प्रतिशत।
    - 3) संगार्ड-पुतार्ड, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
    - 4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 15 प्रतिशत।
  - 23 कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।
  - 24 जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
  - 25 बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 6 माह पश्चात् अवमुक्त की जायेगी।
  - 26 किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 का निर्णय अन्तिम होगा।

(दिनेश सिंह)  
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपि:-

- 1- महाप्रबन्धक (परि0प्रबध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेवसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
- 2- नोटिस बोर्ड हेतु।

इकाई प्रभारी



## उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(उ० प्र० शासन का एक प्रतिष्ठान)

निर्माण इकाई-आगरा

आई.एस.ओ. 9001: 2015 प्रमाणित

CIN- U 45201 UP 1987 SGC 008642

e-mail:-uppanitd.agra@hotmail.com

पता:- पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा

पत्रांक : 81 / पुआनि/नि.ई.आ./ई-टेण्डरिंग/22-23

दिनांक : 10.04.2023

### अल्पकालीन-ई-निविदा सूचना (प्रथम कॉल)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद मैनपुरी में विभिन्न थानों में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक: 27.04.2023 को समय 14:00 अपरान्ह तक निविदा आमत्रित की जाती है, जो उसी दिन अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु० में)	निविदा प्रासेसिंग मूल्य (रु० में)	धरोहर धनराशि (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	जनपद मैनपुरी के थाना बरनाहाल् में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य।	408626.00	400.00+G.S.T. निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति लगाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ पंजीकृत प्रमाण-पत्र, पेनकार्ड, आधार, हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ धरोहर धनराशि (Earnest Money) की यू०टी०आर० प्रपत्र जमा कराना होगा। धरोहर धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई आगरा के उपरोक्त बैंक खाता संख्या: 0193101018810, IFSC Code: CNRB0000193, Canara Bank Jaipur House Colony, Agra. में जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा-282010 में किसी भी कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे तक रु० 118.00 (जी०एस०टी० सहित) नकद देकर दिनांक 26.04.2023 तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर दिनांक: 27.04.2022 के लिए टेण्डर तिथि अंकित हो, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय समय 11.00 बजे से 14.00 तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटी में डाल दिया जाये।
- निर्धारित समय 14.00 बजे के बाद निविदा डालने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- निविदा फार्म में आगणन की लागत से कम प्रतिशत को दर्शाते हुए निविदा भरी जायेगी। किसी टेण्डर में जो भी प्रतिशत निविदा में अंकित किया जाय, उसे स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये। यदि प्रतिशत धनराशि स्पष्ट रूप से अंकित नहीं की जाती है तो टेण्डर फार्म बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। टेण्डर लिफाफे के ऊपर निविदा संख्या का अंकित किया जाना आवश्यक है।
- कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्ष ऋतु को सम्मिलित करते हुए है।
- कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- दीमकरोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य हेतु नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर 10 वर्ष की गारण्टी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
- निविदाओं के खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए अगले कार्य दिवस में न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा कराना एवं अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा कराते हुए अनुबन्ध पूर्ण नहीं होगा तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए अर्नेस्ट मनी जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। जमानत की धनराशि फिक्स डिपोजिट के रूप में ली

- जायेगी। फिक्स डिपोजिट अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड निर्माण इकाई आगरा के नाम बन्धक होना चाहिए जो 15 माह की तिथि तक मान्य होनी चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- 12 निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
  - 13 यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जाँच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा जिससे वसूली का जायेगी।
  - 14 कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु रू0 100.00 का स्टाम्प पेपर एल-1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा कराना होगा।
  - 15 निविदा डालने के लिए किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
  - 16 आयकर आदि की कटौती नियमानुसार किया जायेगा।
  - 17 जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
  - 18 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
  - 19 निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिनों के अन्दर आगणन के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाना चाहिए। यदि नियत समय के अन्दर कार्य पूरा नहीं कराया जाता है तो पेनाल्टी क्लॉज लागू होगा (क्रमांक-15 के अनुरूप) जमानत धनराशि जब्त करते हुए टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।
  - 20 **"No cost over Run and Penalty (for time over run) Clause"** लागू होगा। **In case of Non completion of Project within the time given by the client the delay in Completion of Project after given time the Penalty will be charged at rate of 1% per week of Project Cost Subject to maximum of 10% of Cost.**
  - 21 निर्माण कार्य को अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में **Debitable Agency** से कार्य कराया जायेगा, जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
  - 22 निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
    - 1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 25 प्रतिशत।
    - 2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमर्सिबल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का- 30 प्रतिशत।
    - 3) संगार्ड-पुतार्ड, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
    - 4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 15 प्रतिशत।
  - 23 कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।
  - 24 जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
  - 25 बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 6 माह पश्चात् अवमुक्त की जायेगी।
  - 26 किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 का निर्णय अन्तिम होगा।

(दिनेश सिंह)  
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपि:-

- 1- महाप्रबन्धक (परि0प्रबध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेवसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
- 2- नोटिस बोर्ड हेतु।

इकाई प्रभारी



# उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(उ० प्र० शासन का एक प्रतिष्ठान)

निर्माण इकाई-आगरा

आई.एस.ओ. 9001: 2015 प्रमाणित

CIN- U 45201 UP 1987 SGC 008642

e-mail:- uppanltd.agra@hotmail.com

पता:- पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा

दिनांक : 1.8.2023

पत्रांक : 69 / पुआनि / नि.ई.आ. / ई-टेण्डरिंग / 22-23

## अल्पकालीन-ई-निविदा सूचना (प्रथम कॉल)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद मैनपुरी में विभिन्न थानों में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक: 27.04.2023 को समय 14:00 अपराह्न तक निविदा आमत्रित की जाती है, जो उसी दिन अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु० में)	निविदा प्रासेसिंग मूल्य (रु० में)	धरोहर धनराशि (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	जनपद मैनपुरी के थाना बेवर में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य।	408626.00	400.00+G.S.T. निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति लगाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ पंजीकृत प्रमाण-पत्र, पेनकार्ड, आधार, हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ धरोहर धनराशि (Earnest Money) की यू०टी०आर० प्रपत्र जमा कराना होगा। धरोहर धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई आगरा के उपरोक्त बैंक खाता संख्या: 0193101018810, IFSC Code: CNRB0000193, Canara Bank Jaipur House Colony, Agra. में जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा-282010 में किसी भी कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे तक रु० 118.00 (जी०एस०टी० सहित) नकद देकर दिनांक 26.04.2023 तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर दिनांक: 27.04.2022 के लिए टेण्डर तिथि अंकित हो, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय समय 11.00 बजे से 14.00 तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटी में डाल दिया जाये।
- निर्धारित समय 14.00 बजे के बाद निविदा डालने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- निविदा फार्म में आगणन की लागत से कम प्रतिशत को दर्शाते हुए निविदा भरी जायेगी। किसी टेण्डर में जो भी प्रतिशत निविदा में अंकित किया जाय, उसे स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये। यदि प्रतिशत धनराशि स्पष्ट रूप से अंकित नहीं की जाती है तो टेण्डर फार्म बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। टेण्डर लिफाफे के ऊपर निविदा संख्या का अंकित किया जाना आवश्यक है।
- कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्ष ऋतु को सम्मिलित करते हुए है।
- कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- दीमकरोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य हेतु नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर 10 वर्ष की गारण्टी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
- निविदाओं के खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए अगले कार्य दिवस में न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा कराना एवं अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा कराते हुए अनुबन्ध पूर्ण नहीं होगा तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए अर्नेस्ट मनी जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। जमानत की धनराशि फिक्स डिपोजिट के रूप में ली

- जायेगी। फिक्स डिपॉजिट अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड निर्माण इकाई आगरा के नाम बन्धक होना चाहिए जो 15 माह की तिथि तक मान्य होनी चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- 12 निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
  - 13 यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जाँच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा जिससे वसूली की जायेगी।
  - 14 कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु रू0 100.00 का स्टाम्प पेपर एल-1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा कराना होगा।
  - 15 निविदा डालने के लिए किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
  - 16 आयकर आदि की कटौती नियमानुसार किया जायेगा।
  - 17 जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
  - 18 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
  - 19 निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिनों के अन्दर आगणन के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाना चाहिए। यदि नियत समय के अन्दर कार्य पूरा नहीं कराया जाता है तो पेनाल्टी क्लॉज लागू होगा (क्रमांक-15 के अनुरूप) जमानत धनराशि जब्त करते हुए टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।
  - 20 **"No cost over Run and Penalty (for time over run) Clause"** लागू होगा। **In case of Non completion of Project within the time given by the client the delay in Completion of Project after given time the Penalty will be charged at rate of 1% per week of Project Cost Subject to maximum of 10% of Cost.**
  - 21 निर्माण कार्य को अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में **Debitable Agency** से कार्य कराया जायेगा, जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
  - 22 निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
    - 1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 25 प्रतिशत।
    - 2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमर्सिबल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का- 30 प्रतिशत।
    - 3) संगार्ड-पुताई, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
    - 4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 15 प्रतिशत।
  - 23 कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।
  - 24 जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
  - 25 बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 6 माह पश्चात् अवमुक्त की जायेगी।
  - 26 किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 का निर्णय अन्तिम होगा।

(दिनेश सिंह)  
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपि:-

- 1- महाप्रबन्धक (परि0प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
- 2- नोटिस बोर्ड हेतु।

  
इकाई प्रभारी



# उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(ऊ० प्र० शासन का एक प्रतिष्ठान)

निर्माण इकाई-आगरा

आई.एस.ओ. 9001: 2015 प्रमाणित

CIN- U 45201 UP 1987 SGC 008642

e-mail:- uppanltd.agra@hotmail.com

पता:- पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा

पत्रांक : 20 / पुआनि / नि.ई.आ. / ई-टेण्डरिंग / 22-23

दिनांक : 12/04/2023

## अल्पकालीन-ई-निविदा सूचना (प्रथम कॉल)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद मैनपुरी में विभिन्न थानों में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक: 27.04.2023 को समय 14:00 अपराह्न तक निविदा आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु० में)	निविदा प्रासेसिंग मूल्य (रु० में)	धरोहर धनराशि (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	जनपद मैनपुरी के थाना धिरोर में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य।	408626.00	400.00+G.S.T. निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन


- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति लगाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ पंजीकृत प्रमाण-पत्र, पेनकार्ड, आधार, हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ धरोहर धनराशि (Earnest Money) की यू०टी०आर० प्रपत्र जमा कराना होगा। धरोहर धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई आगरा के उपरोक्त बैंक खाता संख्या: 0193101018810, IFSC Code: CNRB0000193, Canara Bank Jaipur House Colony, Agra. में जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा-282010 में किसी भी कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे तक रु० 118.00 (जी०एस०टी० सहित) नकद देकर दिनांक 26.04.2023 तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर दिनांक: 27.04.2022 के लिए टेण्डर तिथि अंकित हो, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय समय 11.00 बजे से 14.00 तक अनिवार्य रूप से निविदा पेट्टी में डाल दिया जाये।
- निर्धारित समय 14.00 बजे के बाद निविदा डालने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- निविदा फार्म में आगणन की लागत से कम प्रतिशत को दर्शाते हुए निविदा भरी जायेगी। किसी टेण्डर में जो भी प्रतिशत निविदा में अंकित किया जाय, उसे स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये। यदि प्रतिशत धनराशि स्पष्ट रूप से अंकित नहीं की जाती है तो टेण्डर फार्म बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। टेण्डर लिफाफे के ऊपर निविदा संख्या का अंकित किया जाना आवश्यक है।
- कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्ष ऋतु को सम्मिलित करते हुए है।
- कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- दीमकरोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य हेतु नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर 10 वर्ष की गारण्टी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
- निविदाओं के खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए अगले कार्य दिवस में न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा कराना एवं अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा कराते हुए अनुबन्ध पूर्ण नहीं होगा तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए अर्नेस्ट मनी जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। जमानत की धनराशि फिक्स डिपोजिट के रूप में ली

- जायेगी। फिक्स डिपोजिट अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड निर्माण इकाई आगरा के नाम बन्धक होना चाहिए जो 15 माह की तिथि तक मान्य होनी चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- 12 निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
  - 13 यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जाँच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकोर उत्तरदायी होगा जिससे वसूली की जायेगी।
  - 14 कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु रू0 100.00 का स्टाम्प पेपर एल-1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा कराना होगा।
  - 15 निविदा डालने के लिए किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
  - 16 आयकर आदि की कटौती नियमानुसार किया जायेगा।
  - 17 जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
  - 18 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
  - 19 निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिनों के अन्दर आगणन के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाना चाहिए। यदि नियत समय के अन्दर कार्य पूरा नहीं कराया जाता है तो पेनाल्टी क्लॉज लागू होगा (क्रमांक-15 के अनुरूप) जमानत धनराशि जब्त करते हुए टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।
  - 20 **"No cost over Run and Penalty (for time over run) Clause"** लागू होगा। **In case of Non completion of Project within the time given by the client the delay in Completion of Project after given time the Penalty will be charged at rate of 1% per week of Project Cost Subject to maximum of 10% of Cost.**
  - 21 निर्माण कार्य को अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में **Debitable Agency** से कार्य कराया जायेगा, जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
  - 22 निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
    - 1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 25 प्रतिशत।
    - 2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमर्सिबल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का- 30 प्रतिशत।
    - 3) संगार्ड-पुताई, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
    - 4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 15 प्रतिशत।
  - 23 कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।
  - 24 जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
  - 25 बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 6 माह पश्चात् अवमुक्त की जायेगी।
  - 26 किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 का निर्णय अन्तिम होगा।

(दिनेश सिंह)  
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपि:-

- 1- महाप्रबन्धक (परि0प्रबध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेवसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
- 2- नोटिस बोर्ड हेतु।

  
इकाई प्रभारी





# उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(उ० प्र० शासन का एक प्रतिष्ठान)

निर्माण इकाई-आगरा

आई.एल.जो. २००१: २०१५ प्रमाणित

CIN- U 45201 UP 1987 SGC 008642

e-mail:-uppanltd.agra@hotmail.com

पता:- पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा

पत्रांक : २१ / पुआनि/नि.ई.आ./ई-टेण्डरिंग/२२-२३

दिनांक : १२.०४.२०२३

## अल्पकालीन-ई-निविदा सूचना (प्रथम कॉल)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद मैनपुरी में विभिन्न थानों में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक: २७.०४.२०२३ को समय १४:०० अपरान्ह तक निविदा आमत्रित की जाती है, जो उसी दिन अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु० में)	निविदा प्रासेसिंग मूल्य (रु० में)	धरोहर धनराशि (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
१	जनपद मैनपुरी के थाना दन्नाहार में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य।	४०८६२६.००	४००.००+G.S.T. निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का १%	९० दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति लगाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ पंजीकृत प्रमाण-पत्र, पेनकार्ड, आधार, हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ धरोहर धनराशि (Earnest Money) की यू०टी०आर० प्रपत्र जमा कराना होगा। धरोहर धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई आगरा के उपरोक्त बैंक खाता संख्या: ०१९३१०१०१८८१०, IFSC Code: CNRB0000193, Canara Bank Jaipur House Colony, Agra. में जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा-२८२०१० में किसी भी कार्य दिवस में समय १०.०० बजे से १४.०० बजे तक रु० ११८.०० (जी०एस०टी० सहित) नकद देकर दिनांक २६.०४.२०२३ तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर दिनांक: २७.०४.२०२२ के लिए टेण्डर तिथि अंकित हो, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय समय ११.०० बजे से १४.०० तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटी में डाल दिया जाये।
- निर्धारित समय १४.०० बजे के बाद निविदा डालने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- निविदा फार्म में आगणन की लागत से कम प्रतिशत को दर्शाते हुए निविदा भरी जायेगी। किसी टेण्डर में जो भी प्रतिशत निविदा में अंकित किया जाय, उसे स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये। यदि प्रतिशत धनराशि स्पष्ट रूप से अंकित नहीं की जाती है तो टेण्डर फार्म बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। टेण्डर लिफाफे के ऊपर निविदा संख्या का अंकित किया जाना आवश्यक है।
- कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्ष ऋतु को सम्मिलित करते हुए है।
- कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- दीमकरोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य हेतु नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर १० वर्ष की गारण्टी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
- निविदाओं के खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए अगले कार्य दिवस में न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के एक सप्ताह में ५ प्रतिशत जमानत धनराशि जमा कराना एवं अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा कराते हुए अनुबन्ध पूर्ण नहीं होगा तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए अर्नेस्ट मनी जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। जमानत की धनराशि फिक्स डिपोजिट के रूप में ली

- जायेगी। फिक्स डिपोजिट अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड निर्माण इकाई आगरा के नाम बन्धक होना चाहिए जो 15 माह की तिथि तक मान्य होनी चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- 12 निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
  - 13 यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जाँच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेर उत्तरदायी होगा जिससे वसूली की जायेगी।
  - 14 कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु रू0 100.00 का स्टाम्प पेपर एल-1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा कराना होगा।
  - 15 निविदा डालने के लिए किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
  - 16 आयकर आदि की कटौती नियमानुसार किया जायेगा।
  - 17 जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
  - 18 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
  - 19 निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिनों के अन्दर आगणन के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाना चाहिए। यदि नियत समय के अन्दर कार्य पूरा नहीं कराया जाता है तो पेनाल्टी क्लॉज लागू होगा (क्रमांक-15 के अनुरूप) जमानत धनराशि जब करते हुए टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।
  - 20 **"No cost over Run and Penalty (for time over run) Clause"** लागू होगा। **In case of Non completion of Project within the time given by the client the delay in Completion of Project after given time the Penalty will be charged at rate of 1% per week of Project Cost Subject to maximum of 10% of Cost.**
  - 21 निर्माण कार्य को अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में **Debitable Agency** से कार्य कराया जायेगा, जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
  - 22 निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
    - 1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 25 प्रतिशत।
    - 2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमर्सिबल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का- 30 प्रतिशत।
    - 3) संगार्ष-पुतार्ष, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
    - 4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 15 प्रतिशत।
  - 23 कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।
  - 24 जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
  - 25 बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 6 माह पश्चात् अवमुक्त की जायेगी।
  - 26 किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 का निर्णय अन्तिम होगा।

(दिनेश सिंह)  
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपि:-

- 1- महाप्रबन्धक (परि0प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
- 2- नोटिस बोर्ड हेतु।

  
इकाई प्रभारी



# उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(ऊ० प्र० शासन का एक प्रतिष्ठान)

निर्माण इकाई-आगरा

आई.एस.ओ. 9001: 2015 प्रमाणित

CIN- U 45201 UP 1987 SGC 008642

e-mail:- uppanltd.agra@hotmail.com

पता:- पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा

पत्रांक : 72 / पुआनि / नि.ई.आ. / ई-टेण्डरिंग / 22-23

दिनांक : 10.04.2023

## अल्पकालीन-ई-निविदा सूचना (प्रथम कॉल)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद मैनपुरी में विभिन्न थानों में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक: 27.04.2023 को समय 14:00 अपरान्ह तक निविदा आमत्रित की जाती है, जो उसी दिन अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु० में)	निविदा प्रासेसिंग मूल्य (रु० में)	धरोहर धनराशि (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	जनपद मैनपुरी के थाना कुर्रा में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य।	408626.00	400.00+G.S.T. निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति लगाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ पंजीकृत प्रमाण-पत्र, पेनकार्ड, आधार, हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ धरोहर धनराशि (Earnest Money) की यू०टी०आर० प्रपत्र जमा कराना होगा। धरोहर धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई आगरा के उपरोक्त बैंक खाता संख्या: 0193101018810, IFSC Code: CNRB0000193, Canara Bank Jaipur House Colony, Agra. में जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा-282010 में किसी भी कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे तक रु० 118.00 (जी०एस०टी० सहित) नकद देकर दिनांक 26.04.2023 तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर दिनांक: 27.04.2022 के लिए टेण्डर तिथि अंकित हो, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय समय 11.00 बजे से 14.00 तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटी में डाल दिया जाये।
- निर्धारित समय 14.00 बजे के बाद निविदा डालने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- निविदा फार्म में आगणन की लागत से कम प्रतिशत को दर्शाते हुए निविदा भरी जायेगी। किसी टेण्डर में जो भी प्रतिशत निविदा में अंकित किया जाय, उसे स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये। यदि प्रतिशत धनराशि स्पष्ट रूप से अंकित नहीं की जाती है तो टेण्डर फार्म बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। टेण्डर लिफाफे के ऊपर निविदा संख्या का अंकित किया जाना आवश्यक है।
- कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्ष ऋतु को सम्मिलित करते हुए है।
- कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- दीमकरोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य हेतु नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर 10 वर्ष की गारण्टी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
- निविदाओं के खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए अगले कार्य दिवस में न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा कराना एवं अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा कराते हुए अनुबन्ध पूर्ण नहीं होगा तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए अर्नेस्ट मनी जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। जमानत की धनराशि फिक्स डिपोजिट के रूप में ली

- जायेगी। फिक्स डिपोजिट अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड निर्माण इकाई आगरा के नाम बन्धक होना चाहिए जो 15 माह की तिथि तक मान्य होनी चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- 12 निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
  - 13 यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जाँच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा जिससे वसूली की जायेगी।
  - 14 कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु रू0 100.00 का स्टाम्प पेपर एल-1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा कराना होगा।
  - 15 निविदा डालने के लिए किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
  - 16 आयकर आदि की कटौती नियमानुसार किया जायेगा।
  - 17 जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
  - 18 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
  - 19 निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिनों के अन्दर आगणन के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाना चाहिए। यदि नियत समय के अन्दर कार्य पूरा नहीं कराया जाता है तो पेनाल्टी क्लॉज लागू होगा (क्रमांक-15 के अनुरूप) जमानत धनराशि जब्त करते हुए टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।
  - 20 **"No cost over Run and Penalty (for time over run) Clause"** लागू होगा। **In case of Non completion of Project within the time given by the client the delay in Completion of Project after given time the Penalty will be charged at rate of 1% per week of Project Cost Subject to maximum of 10% of Cost.**
  - 21 निर्माण कार्य को अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में **Debitable Agency** से कार्य कराया जायेगा, जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
  - 22 निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
    - 1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 25 प्रतिशत।
    - 2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमर्सिबल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का- 30 प्रतिशत।
    - 3) संगार्ष-पुतार्ष, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
    - 4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 15 प्रतिशत।
  - 23 कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।
  - 24 जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
  - 25 बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 6 माह पश्चात् अवमुक्त की जायेगी।
  - 26 किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 का निर्णय अन्तिम होगा।

(दिनेश सिंह)  
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपि:-

- 1- महाप्रबन्धक (परि0प्रबध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेवसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
- 2- नोटिस बोर्ड हेतु।

इकाई प्रभारी



# उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(उ० प्र० शासन का एक प्रतिष्ठान)

निर्माण इकाई-आगरा

आई.एस.ओ. 9001: 2015 प्रमाणित

CIN- U 45201 UP 1987 SGC 008642

e-mail:-uppanltd.agra@hotmail.com

पता:- पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा

पत्रांक : 73 /पुआनि/नि.ई.आ./ई-टेण्डरिंग/22-23

दिनांक : 10.04.2023

## अल्पकालीन-ई-निविदा सूचना (प्रथम कॉल)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद मैनपुरी में विभिन्न थानों में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक: 27.04.2023 को समय 14:00 अपरान्ह तक निविदा आमत्रित की जाती है, जो उसी दिन अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु० में)	निविदा प्रासेसिंग मूल्य (रु० में)	धरोहर धनराशि (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	जनपद मैनपुरी के थाना एलाऊ में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य।	408626.00	400.00+G.S.T. निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति लगाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ पंजीकृत प्रमाण-पत्र, पेनकार्ड, आधार, हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ धरोहर धनराशि (Earnest Money) की यू०टी०आर० प्रपत्र जमा कराना होगा। धरोहर धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई आगरा के उपरोक्त बैंक खाता संख्या: 0193101018810, IFSC Code: CNRB0000193, Canara Bank Jaipur House Colony, Agra. में जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा-282010 में किसी भी कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे तक रु० 118.00 (जी०एस०टी० सहित) नकद देकर दिनांक 26.04.2023 तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर दिनांक: 27.04.2022 के लिए टेण्डर तिथि अंकित हो, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय समय 11.00 बजे से 14.00 तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटी में डाल दिया जाये।
- निर्धारित समय 14.00 बजे के बाद निविदा डालने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- निविदा फार्म में आगणन की लागत से कम प्रतिशत को दर्शाते हुए निविदा भरी जायेगी। किसी टेण्डर में जो भी प्रतिशत निविदा में अंकित किया जाय, उसे स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये। यदि प्रतिशत धनराशि स्पष्ट रूप से अंकित नहीं की जाती है तो टेण्डर फार्म बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। टेण्डर लिफाफे के ऊपर निविदा संख्या का अंकित किया जाना आवश्यक है।
- कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्ष ऋतु को सम्मिलित करते हुए है।
- कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- दीमकरोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य हेतु नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर 10 वर्ष की गारण्टी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
- निविदाओं के खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए अगले कार्य दिवस में न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा कराना एवं अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा कराते हुए अनुबन्ध पूर्ण नहीं होगा तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए अर्नेस्ट मनी जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। जमानत की धनराशि फिक्स डिपोजिट के रूप में ली

- जायेगी। फिक्स डिपोजिट अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड निर्माण इकाई आगरा के नाम बन्धक होना चाहिए जो 15 माह की तिथि तक मान्य होनी चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- 12 निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
  - 13 यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जाँच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा जिससे वसूली की जायेगी।
  - 14 कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु रू0 100.00 का स्टाम्प पेपर एल-1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा कराना होगा।
  - 15 निविदा डालने के लिए किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
  - 16 आयकर आदि की कटौती नियमानुसार किया जायेगा।
  - 17 जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
  - 18 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
  - 19 निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिनों के अन्दर आगणन के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाना चाहिए। यदि नियत समय के अन्दर कार्य पूरा नहीं कराया जाता है तो पेनाल्टी क्लॉज लागू होगा (क्रमांक-15 के अनुरूप) जमानत धनराशि जब्त करते हुए टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।
  - 20 **“No cost over Run and Penalty (for time over run) Clause”** लागू होगा। **In case of Non completion of Project within the time given by the client the delay in Completion of Project after given time the Penalty will be charged at rate of 1% per week of Project Cost Subject to maximum of 10% of Cost.**
  - 21 निर्माण कार्य को अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में **Debitable Agency** से कार्य कराया जायेगा, जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
  - 22 निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
    - 1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का – 25 प्रतिशत।
    - 2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमर्सिबल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का – 30 प्रतिशत।
    - 3) संगारई-पुताई, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का – 30 प्रतिशत।
    - 4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का – 15 प्रतिशत।
  - 23 कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।
  - 24 जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
  - 25 बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 6 माह पश्चात् अवमुक्त की जायेगी।
  - 26 किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 का निर्णय अन्तिम होगा।

(दिनेश सिंह)  
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपि:-

- 1- महाप्रबन्धक (परि0प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
- 2- नोटिस बोर्ड हेतु।

  
इकाई प्रभारी



# उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(उ० प्र० शासन का एक प्रतिष्ठान)

निर्माण इकाई-आगरा

आई.एस.ओ. 9001: 2015 प्रमाणित

CIN- U 45201 UP 1987 SGC 008642

e-mail:- uppanltd.agra@hotmail.com

पता:- पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा

पत्रांक : 74 / पुआनि/नि.ई.आ./ई-टेण्डरिंग/22-23

दिनांक : 10.04.2023

## अल्पकालीन-ई-निविदा सूचना (प्रथम कॉल)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद मैनपुरी में विभिन्न थानों में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक: 27.04.2023 को समय 14:00 अपरान्ह तक निविदा आमत्रित की जाती है, जो उसी दिन अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु० में)	निविदा प्रासेसिंग मूल्य (रु० में)	धरोहर धनराशि (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	जनपद मैनपुरी के थाना बिछवा में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य।	408626.00	400.00+G.S.T. निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति लगाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ पंजीकृत प्रमाण-पत्र, पेनकार्ड, आधार, हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ धरोहर धनराशि (Earnest Money) की यू०टी०आर० प्रपत्र जमा कराना होगा। धरोहर धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई आगरा के उपरोक्त बैंक खाता संख्या: 0193101018810, IFSC Code: CNRB0000193, Canara Bank Jaipur House Colony, Agra. में जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा-282010 में किसी भी कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे तक रु० 118.00 (जी०एस०टी० सहित) नकद देकर दिनांक 26.04.2023 तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर दिनांक: 27.04.2022 के लिए टेण्डर तिथि अंकित हो, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय समय 11.00 बजे से 14.00 तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटी में डाल दिया जाये।
- निर्धारित समय 14.00 बजे के बाद निविदा डालने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- निविदा फार्म में आगणन की लागत से कम प्रतिशत को दर्शाते हुए निविदा भरी जायेगी। किसी टेण्डर में जो भी प्रतिशत निविदा में अंकित किया जाय, उसे स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये। यदि प्रतिशत धनराशि स्पष्ट रूप से अंकित नहीं की जाती है तो टेण्डर फार्म बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। टेण्डर लिफाफे के ऊपर निविदा संख्या का अंकित किया जाना आवश्यक है।
- कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्ष ऋतु को सम्मिलित करते हुए है।
- कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- दीमकरोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य हेतु नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर 10 वर्ष की गारण्टी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
- निविदाओं के खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए अगले कार्य दिवस में न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा कराना एवं अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा कराते हुए अनुबन्ध पूर्ण नहीं होगा तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए अर्नेस्ट मनी जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। जमानत की धनराशि फिक्स डिपोजिट के रूप में ली

- जायेगी। फिक्स डिपोजिट अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड निर्माण इकाई आगरा के नाम बन्धक होना चाहिए जो 15 माह की तिथि तक मान्य होनी चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- 12 निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
  - 13 यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जॉच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेर उत्तरदायी होगा जिससे वसूली की जायेगी।
  - 14 कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु रू0 100.00 का स्टाम्प पेपर एल-1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा कराना होगा।
  - 15 निविदा डालने के लिए किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
  - 16 आयकर आदि की कटौती नियमानुसार किया जायेगा।
  - 17 जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
  - 18 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
  - 19 निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिनों के अन्दर आगणन के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाना चाहिए। यदि नियत समय के अन्दर कार्य पूरा नहीं कराया जाता है तो पेनाल्टी क्लॉज लागू होगा (क्रमांक-15 के अनुरूप) जमानत धनराशि जब्त करते हुए टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।
  - 20 **"No cost over Run and Penalty (for time over run) Clause"** लागू होगा। **In case of Non completion of Project within the time given by the client the delay in Completion of Project after given time the Penalty will be charged at rate of 1% per week of Project Cost Subject to maximum of 10% of Cost.**
  - 21 निर्माण कार्य को अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में **Debitable Agency** से कार्य कराया जायेगा, जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
  - 22 निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
    - 1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 25 प्रतिशत।
    - 2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमर्सिबल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
    - 3) संगार्ड-पुताई, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
    - 4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 15 प्रतिशत।
  - 23 कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।
  - 24 जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
  - 25 बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 6 माह पश्चात् अवमुक्त की जायेगी।
  - 26 किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 का निर्णय अन्तिम होगा।

(दिनेश सिंह)  
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपि:-

- 1- महाप्रबन्धक (परि0प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेवसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
- 2- नोटिस बोर्ड हेतु।

इकाई प्रभारी





# उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(उ० प्र० शासन का एक प्रतिष्ठान)

निर्माण इकाई-आगरा

आई.एस.ओ. 9001: 2015 प्रमाणित

CIN- U 45201 UP 1987 SGC 008642

e-mail:- uppanltd.agra@hotmail.com

पता:- पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा

पत्रांक : 25 / पुआनि / नि.ई.आ. / ई-टेण्डरिंग / 22-23

दिनांक : 10.04.2023

## अल्पकालीन-ई-निविदा सूचना (प्रथम कॉल)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद मैनपुरी में विभिन्न थानों में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक: 27.04.2023 को समय 14:00 अपराह्न तक निविदा आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु० में)	निविदा प्रासेसिंग मूल्य (रु० में)	धरोहर धनराशि (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	जनपद मैनपुरी के थाना भौगांव में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य।	408626.00	400.00+G.S.T. निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति लगाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ पंजीकृत प्रमाण-पत्र, पेनकार्ड, आधार, हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ धरोहर धनराशि (Earnest Money) की यू०टी०आर० प्रपत्र जमा कराना होगा। धरोहर धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई आगरा के उपरोक्त बैंक खाता संख्या: 0193101018810, IFSC Code: CNRB0000193, Canara Bank Jaipur House Colony, Agra. में जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा-282010 में किसी भी कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे तक रु० 118.00 (जी०एस०टी० सहित) नकद देकर दिनांक 26.04.2023 तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर दिनांक: 27.04.2022 के लिए टेण्डर तिथि अंकित हो, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय समय 11.00 बजे से 14.00 तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटी में डाल दिया जाये।
- निर्धारित समय 14.00 बजे के बाद निविदा डालने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- निविदा फार्म में आगणन की लागत से कम प्रतिशत को दर्शाते हुए निविदा भरी जायेगी। किसी टेण्डर में जो भी प्रतिशत निविदा में अंकित किया जाय, उसे स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये। यदि प्रतिशत धनराशि स्पष्ट रूप से अंकित नहीं की जाती है तो टेण्डर फार्म बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। टेण्डर लिफाफे के ऊपर निविदा संख्या का अंकित किया जाना आवश्यक है।
- कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्ष ऋतु को सम्मिलित करते हुए है।
- कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- दीमकरोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य हेतु नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर 10 वर्ष की गारण्टी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
- निविदाओं के खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए अगले कार्य दिवस में न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा कराना एवं अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा कराते हुए अनुबन्ध पूर्ण नहीं होगा तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए अर्नेस्ट मनी जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। जमानत की धनराशि फिक्स डिपॉजिट के रूप में ली

- जायेगी। फिक्स डिपाजिट अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड निर्माण इकाई आगरा के नाम बन्धक होना चाहिए जो 15 माह की तिथि तक मान्य होनी चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- 12 निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
  - 13 यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जॉच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा जिससे वसूली की जायेगी।
  - 14 कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु रू0 100.00 का स्टाम्प पेपर एल-1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा कराना होगा।
  - 15 निविदा डालने के लिए किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
  - 16 आयकर आदि की कटौती नियमानुसार किया जायेगा।
  - 17 जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
  - 18 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
  - 19 निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिनों के अन्दर आगणन के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाना चाहिए। यदि नियत समय के अन्दर कार्य पूरा नहीं कराया जाता है तो पेनाल्टी क्लॉज लागू होगा (क्रमांक-15 के अनुरूप) जमानत धनराशि जब करते हुए टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।
  - 20 **"No cost over Run and Penalty (for time over run) Clause"** लागू होगा। **In case of Non completion of Project within the time given by the client the delay in Completion of Project after given time the Penalty will be charged at rate of 1% per week of Project Cost Subject to maximum of 10% of Cost.**
  - 21 निर्माण कार्य को अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में **Debitable Agency** से कार्य कराया जायेगा, जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
  - 22 निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
    - 1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 25 प्रतिशत।
    - 2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमर्सिबल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
    - 3) संगार्ड-पुताई, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
    - 4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 15 प्रतिशत।
  - 23 कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।
  - 24 जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
  - 25 बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 6 माह पश्चात् अवमुक्त की जायेगी।
  - 26 किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 का निर्णय अन्तिम होगा।

(दिनेश सिंह)  
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपि:-

- 1- महाप्रबन्धक (परि0प्रबध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
- 2- नोटिस बोर्ड हेतु।

इकाई प्रभारी



# उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(उ० प्र० शासन का एक प्रतिष्ठान)

निर्माण इकाई-आगरा

आई.एत.जो. २००१: २०१३ प्रमाणित

CIN- U 45201 UP 1987 SGC 008642

e-mail:- uppanltd.agra@hotmail.com

पता:- पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा

पत्रांक : २६ / पुआनि / नि.ई.आ. / ई-टेण्डरिंग / २२-२३

दिनांक : १०.०४.२०२३

## अल्पकालीन-ई-निविदा सूचना (प्रथम कॉल)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद मैनपुरी में विभिन्न थानों में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक: 27.04.2023 को समय 14:00 अपराह्न तक निविदा आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु० में)	निविदा प्रासेसिंग मूल्य (रु० में)	धरोहर धनराशि (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	जनपद मैनपुरी के थाना किशनी में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य।	408626.00	400.00+G.S.T. निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति लगाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ पंजीकृत प्रमाण-पत्र, पेनकार्ड, आधार, हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ धरोहर धनराशि (Earnest Money) की यू०टी०आर० प्रपत्र जमा कराना होगा। धरोहर धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई आगरा के उपरोक्त बैंक खाता संख्या: 0193101018810, IFSC Code: CNRB0000193, Canara Bank Jaipur House Colony, Agra. में जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा-282010 में किसी भी कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे तक रु० 118.00 (जी०एस०टी० सहित) नकद देकर दिनांक 26.04.2023 तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर दिनांक: 27.04.2022 के लिए टेण्डर तिथि अंकित हो, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय समय 11.00 बजे से 14.00 तक अनिवार्य रूप से निविदा पेट्टी में डाल दिया जाये।
- निर्धारित समय 14.00 बजे के बाद निविदा डालने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- निविदा फार्म में आगणन की लागत से कम प्रतिशत को दर्शाते हुए निविदा भरी जायेगी। किसी टेण्डर में जो भी प्रतिशत निविदा में अंकित किया जाय, उसे स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये। यदि प्रतिशत धनराशि स्पष्ट रूप से अंकित नहीं की जाती है तो टेण्डर फार्म बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। टेण्डर लिफाफे के ऊपर निविदा संख्या का अंकित किया जाना आवश्यक है।
- कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्ष ऋतु को सम्मिलित करते हुए है।
- कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- दीमकरोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य हेतु नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर 10 वर्ष की गारण्टी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
- निविदाओं के खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए अगले कार्य दिवस में न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा कराना एवं अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा कराते हुए अनुबन्ध पूर्ण नहीं होगा तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए अर्नेस्ट मनी जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। जमानत की धनराशि फिक्स डिपॉजिट के रूप में ली

- जायेगी। फिक्स डिपोजिट अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड निर्माण इकाई आगरा के नाम बन्धक होना चाहिए जो 15 माह की तिथि तक मान्य होनी चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- 12 निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
  - 13 यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जाँच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेर उत्तरदायी होगा जिससे पसूली की जायेगी।
  - 14 कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु रू0 100.00 का स्टाम्प पेपर एल-1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा कराना होगा।
  - 15 निविदा डालने के लिए किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
  - 16 आयकर आदि की कटौती नियमानुसार किया जायेगा।
  - 17 जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
  - 18 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
  - 19 निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिनों के अन्दर आगणन के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाना चाहिए। यदि नियत समय के अन्दर कार्य पूरा नहीं कराया जाता है तो पेनाल्टी क्लॉज लागू होगा (क्रमांक-15 के अनुरूप) जमानत धनराशि जब्त करते हुए टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।
  - 20 **"No cost over Run and Penalty (for time over run) Clause"** लागू होगा। **In case of Non completion of Project within the time given by the client the delay in Completion of Project after given time the Penalty will be charged at rate of 1% per week of Project Cost Subject to maximum of 10% of Cost.**
  - 21 निर्माण कार्य को अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में **Debitable Agency** से कार्य कराया जायेगा, जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
  - 22 निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
    - 1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 25 प्रतिशत।
    - 2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमर्सिबल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का- 30 प्रतिशत।
    - 3) संगार्ष-पुताई, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
    - 4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 15 प्रतिशत।
  - 23 कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।
  - 24 जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
  - 25 बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 6 माह पश्चात् अवमुक्त की जायेगी।
  - 26 किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 का निर्णय अन्तिम होगा।

(दिनेश सिंह)  
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपि:-

- 1- महाप्रबन्धक (परि0प्रबध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
- 2- नोटिस बोर्ड हेतु।

इकाई प्रभारी



# उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(उ० प्र० शासन का एक प्रतिष्ठान)

निर्माण इकाई-आगरा

आई.एस.ओ. ०००१: २०१५ प्रमाणित

CIN- U 45201 UP 1987 SGC 008642

e-mail:-uppanltd.agra@hotmail.com

पता:- पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा

पत्रांक : २२ /पुआनि/नि.ई.आ./ई-टेण्डरिंग/२२-२३

दिनांक : १०.०४.२०२३

## अल्पकालीन-ई-निविदा सूचना (प्रथम कॉल)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद मैनपुरी में विभिन्न थानों में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक: 27.04.2023 को समय 14:00 अपराह्न तक निविदा आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु० में)	निविदा प्रासेसिंग मूल्य (रु० में)	धरोहर धनराशि (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	जनपद मैनपुरी के थाना कोतवाली में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य।	411272.00	400.00+G.S.T. निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति लगाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ पंजीकृत प्रमाण-पत्र, पेनकार्ड, आधार, हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ धरोहर धनराशि (Earnest Money) की यू०टी०आर० प्रपत्र जमा कराना होगा। धरोहर धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई आगरा के उपरोक्त बैंक खाता संख्या: 0193101018810, IFSC Code: CNRB0000193, Canara Bank Jaipur House Colony, Agra. में जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा-282010 में किसी भी कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे तक रु० 118.00 (जी०एस०टी० सहित) नकद देकर दिनांक 26.04.2023 तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर दिनांक: 27.04.2022 के लिए टेण्डर तिथि अंकित हो, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय समय 11.00 बजे से 14.00 तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटी में डाल दिया जाये।
- निर्धारित समय 14.00 बजे के बाद निविदा डालने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- निविदा फार्म में आगणन की लागत से कम प्रतिशत को दर्शाते हुए निविदा भरी जायेगी। किसी टेण्डर में जो भी प्रतिशत निविदा में अंकित किया जाय, उसे स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये। यदि प्रतिशत धनराशि स्पष्ट रूप से अंकित नहीं की जाती है तो टेण्डर फार्म बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। टेण्डर लिफाफे के ऊपर निविदा संख्या का अंकित किया जाना आवश्यक है।
- कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्ष ऋतु को सम्मिलित करते हुए है।
- कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- दीमकरोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य हेतु नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर 10 वर्ष की गारण्टी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
- निविदाओं के खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए अगले कार्य दिवस में न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा कराना एवं अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा कराते हुए अनुबन्ध पूर्ण नहीं होगा तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए अर्नेस्ट मनी जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। जमानत की धनराशि फिक्स डिपोजिट के रूप में ली

- जायेगी। फिक्स डिपोजिट अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड निर्माण इकाई आगरा के नाम बन्धक होना चाहिए जो 15 माह की तिथि तक मान्य होनी चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- 12 निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
  - 13 यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जाँच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकोर उत्तरदायी होगा जिससे वसूली की जायेगी।
  - 14 कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु रू0 100.00 का स्टाम्प पेपर एल-1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा कराना होगा।
  - 15 निविदा डालने के लिए किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
  - 16 आयकर आदि की कटौती नियमानुसार किया जायेगा।
  - 17 जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
  - 18 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
  - 19 निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिनों के अन्दर आगणन के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाना चाहिए। यदि नियत समय के अन्दर कार्य पूरा नहीं कराया जाता है तो पेनाल्टी क्लॉज लागू होगा (क्रमांक-15 के अनुरूप) जमानत धनराशि जब करते हुए टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।
  - 20 **"No cost over Run and Penalty (for time over run) Clause"** लागू होगा। **In case of Non completion of Project within the time given by the client the delay in Completion of Project after given time the Penalty will be charged at rate of 1% per week of Project Cost Subject to maximum of 10% of Cost.**
  - 21 निर्माण कार्य को अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में **Debitable Agency** से कार्य कराया जायेगा, जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
  - 22 निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
    - 1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 25 प्रतिशत।
    - 2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमर्सिबल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का- 30 प्रतिशत।
    - 3) संगार्ड-पुताई, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
    - 4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 15 प्रतिशत।
  - 23 कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।
  - 24 जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
  - 25 बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 6 माह पश्चात् अवमुक्त की जायेगी।
  - 26 किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 का निर्णय अन्तिम होगा।

(दिनेश सिंह)  
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपि:-

- 1- महाप्रबन्धक (परि0प्रबध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
- 2- नोटिस बोर्ड हेतु।

इकाई प्रभारी



# उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(ऊ० प्र० शासन का एक प्रतिष्ठान)

निर्माण इकाई-आगरा

आई.एस.ओ. 9001: 2015 प्रमाणित

CIN- U 45201 UP 1987 SGC 008642

e-mail:-uppanltd.agra@hotmail.com

पता:- पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा

पत्रांक : 20 / पुआनि / नि.ई.आ. / ई-टेण्डरिंग / 22-23

दिनांक : 10.04.2023

## अल्पकालीन-ई-निविदा सूचना (प्रथम कॉल)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद मैनपुरी में विभिन्न थानों में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक: 27.04.2023 को समय 14:00 अपरान्ह तक निविदा आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (₹ में)	निविदा प्रासेसिंग मूल्य (₹ में)	धरोहर धनराशि (₹ में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	जनपद मैनपुरी के थाना औँछा में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य।	408626.00	400.00+G.S.T. निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति लगाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ पंजीकृत प्रमाण-पत्र, पेनकार्ड, आधार, हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ धरोहर धनराशि (Earnest Money) की यू०टी०आर० प्रपत्र जमा कराना होगा। धरोहर धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई आगरा के उपरोक्त बैंक खाता संख्या: 0193101018810, IFSC Code: CNRB0000193, Canara Bank Jaipur House Colony, Agra. में जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा-282010 में किसी भी कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे तक ₹ 118.00 (जी०एस०टी० सहित) नकद देकर दिनांक 26.04.2023 तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर दिनांक: 27.04.2022 के लिए टेण्डर तिथि अंकित हो, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय समय 11.00 बजे से 14.00 तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटी में डाल दिया जाये।
- निर्धारित समय 14.00 बजे के बाद निविदा डालने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- निविदा फार्म में आगणन की लागत से कम प्रतिशत को दर्शाते हुए निविदा भरी जायेगी। किसी टेण्डर में जो भी प्रतिशत निविदा में अंकित किया जाय, उसे स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये। यदि प्रतिशत धनराशि स्पष्ट रूप से अंकित नहीं की जाती है तो टेण्डर फार्म बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। टेण्डर लिफाफे के ऊपर निविदा संख्या का अंकित किया जाना आवश्यक है।
- कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्ष ऋतु को सम्मिलित करते हुए है।
- कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- दीमकरोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य हेतु नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर 10 वर्ष की गारण्टी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
- निविदाओं के खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए अगले कार्य दिवस में न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा कराना एवं अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा कराते हुए अनुबन्ध पूर्ण नहीं होगा तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए अर्नेस्ट मनी जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। जमानत की धनराशि फिक्स डिपोजिट के रूप में ली

- जायेगी। फिक्स डिपॉजिट अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड निर्माण इकाई आगरा के नाम बन्धक होना चाहिए जो 15 माह की तिथि तक मान्य होनी चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- 12 निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
  - 13 यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जॉच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा जिससे पसूली की जायेगी।
  - 14 कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु रू0 100.00 का स्टाम्प पेपर एल-1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा कराना होगा।
  - 15 निविदा डालने के लिए किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
  - 16 आयकर आदि की कटौती नियमानुसार किया जायेगा।
  - 17 जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
  - 18 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
  - 19 निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिनों के अन्दर आगणन के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाना चाहिए। यदि नियत समय के अन्दर कार्य पूरा नहीं कराया जाता है तो पेनाल्टी क्लॉज लागू होगा (क्रमांक-15 के अनुरूप) जमानत धनराशि जब्त करते हुए टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।
  - 20 **"No cost over Run and Penalty (for time over run) Clause"** लागू होगा। **In case of Non completion of Project within the time given by the client the delay in Completion of Project after given time the Penalty will be charged at rate of 1% per week of Project Cost Subject to maximum of 10% of Cost.**
  - 21 निर्माण कार्य को अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में **Debitable Agency** से कार्य कराया जायेगा, जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
  - 22 निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
    - 1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 25 प्रतिशत।
    - 2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमर्सिबल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का- 30 प्रतिशत।
    - 3) संगार्ड-पुताई, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
    - 4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 15 प्रतिशत।
  - 23 कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।
  - 24 जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
  - 25 बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 6 माह पश्चात् अवमुक्त की जायेगी।
  - 26 किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 का निर्णय अन्तिम होगा।

(दिनेश सिंह)  
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपि:-

- 1- महाप्रबन्धक (परि0प्रबध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
- 2- नोटिस बोर्ड हेतु।

इकाई प्रभारी





# उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(उ० प्र० शासन का एक प्रतिष्ठान)

## निर्माण इकाई-आगरा

आई.एस.ओ. 9001: 2015 प्रमाणित

CIN- U 45201 UP 1987 SGC 008642

e-mail:-uppanltd.agra@hotmail.com

पता:- पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा

पत्रांक : 79 / पुआनि / नि.ई.आ. / ई-टेण्डरिंग / 22-23

दिनांक : 18.04.2023

### अल्पकालीन-ई-निविदा सूचना (प्रथम कॉल)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद मैनपुरी में विभिन्न थानों में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक: 27.04.2023 को समय 14:00 अपरान्ह तक निविदा आमत्रित की जाती है, जो उसी दिन अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु० में)	निविदा प्रासेसिंग मूल्य (रु० में)	धरोहर धनराशि (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	जनपद मैनपुरी के थाना करहल में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य।	406625.00	400.00+G.S.T. निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति लगाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ पंजीकृत प्रमाण-पत्र, पेनकार्ड, आधार, हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ धरोहर धनराशि (Earnest Money) की यू०टी०आर० प्रपत्र जमा कराना होगा। धरोहर धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई आगरा के उपरोक्त बैंक खाता संख्या: 0193101018810, IFSC Code: CNRB0000193, Canara Bank Jaipur House Colony, Agra. में जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा-282010 में किसी भी कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे तक रु० 118.00 (जी०एस०टी० सहित) नकद देकर दिनांक 26.04.2023 तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर दिनांक: 27.04.2022 के लिए टेण्डर तिथि अंकित हो, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय समय 11.00 बजे से 14.00 तक अनिवार्य रूप से निविदा पेट्टी में डाल दिया जाये।
- निर्धारित समय 14.00 बजे के बाद निविदा डालने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- निविदा फार्म में आगणन की लागत से कम प्रतिशत को दर्शाते हुए निविदा भरी जायेगी। किसी टेण्डर में जो भी प्रतिशत निविदा में अंकित किया जाय, उसे स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये। यदि प्रतिशत धनराशि स्पष्ट रूप से अंकित नहीं की जाती है तो टेण्डर फार्म बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। टेण्डर लिफाफे के ऊपर निविदा संख्या का अंकित किया जाना आवश्यक है।
- कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्ष ऋतु को सम्मिलित करते हुए है।
- कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- दीमकरोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य हेतु नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर 10 वर्ष की गारण्टी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
- निविदाओं के खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए अगले कार्य दिवस में न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा कराना एवं अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा कराते हुए अनुबन्ध पूर्ण नहीं होगा तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए अर्नेस्ट मनी जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। जमानत की धनराशि फिक्स डिपोजिट के रूप में ली

- जायेगी। फिक्स डिपोजिट अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड निर्माण इकाई आगरा के नाम बन्धक होना चाहिए जो 15 माह की तिथि तक मान्य होनी चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- 12 निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
  - 13 यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जाँच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा जिससे वसूली की जायेगी।
  - 14 कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु रू0 100.00 का स्टाम्प पेपर एल-1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा कराना होगा।
  - 15 निविदा डालने के लिए किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
  - 16 आयकर आदि की कटौती नियमानुसार किया जायेगा।
  - 17 जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
  - 18 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
  - 19 निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिनों के अन्दर आगणन के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाना चाहिए। यदि नियत समय के अन्दर कार्य पूरा नहीं कराया जाता है तो पेनाल्टी क्लॉज लागू होगा (क्रमांक-15 के अनुरूप) जमानत धनराशि जब्त करते हुए टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।
  - 20 **"No cost over Run and Penalty (for time over run) Clause"** लागू होगा। **In case of Non completion of Project within the time given by the client the delay in Completion of Project after given time the Penalty will be charged at rate of 1% per week of Project Cost Subject to maximum of 10% of Cost.**
  - 21 निर्माण कार्य को अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में **Debitable Agency** से कार्य कराया जायेगा, जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
  - 22 निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
    - 1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 25 प्रतिशत।
    - 2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमर्सिबल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का- 30 प्रतिशत।
    - 3) संगई-पुताई, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
    - 4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 15 प्रतिशत।
  - 23 कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।
  - 24 जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
  - 25 बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 6 माह पश्चात् अवमुक्त की जायेगी।
  - 26 किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 का निर्णय अन्तिम होगा।

(दिनेश सिंह)  
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपि:-

- 1- महाप्रबन्धक (परि0प्रबध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेवसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
- 2- नोटिस बोर्ड हेतु।

इकाई प्रभारी



# उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(उ० प्र० शासन का एक प्रतिष्ठान)

निर्माण इकाई-आगरा

आई.एस.ओ. 9001: 2015 प्रमाणित

CIN- U 45201 UP 1987 SGC 008642

e-mail:-uppanltd.agra@hotmail.com

पता:- पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा

दिनांक : 20.04.2023

पत्रांक : 92 / पुआनि / नि.ई.आ. / ई-टेण्डरिंग / 22-23

## अल्पकालीन-ई-निविदा सूचना (प्रथम कॉल)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद मथुरा में विभिन्न थानों में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक: 01.05.2023 को समय 14:00 अपराह्न तक निविदा आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु० में)	निविदा प्रासेसिंग मूल्य (रु० में)	धरोहर धनराशि (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	जनपद मथुरा के थाना कोतवाली में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य।	400016.00	400.00+G.S.T. निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति लगाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ पंजीकृत प्रमाण-पत्र, पेनकार्ड, आधार, हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ धरोहर धनराशि (Earnest Money) की यू०टी०आर० प्रपत्र जमा कराना होगा। धरोहर धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई आगरा के उपरोक्त बैंक खाता संख्या: 0193101018810, IFSC Code: CNRB0000193, Canara Bank Jaipur House Colony, Agra. में जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा-282010 में किसी भी कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे तक रु० 118.00 (जी०एस०टी० सहित) नकद देकर दिनांक 29.04.2023 तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर दिनांक: 01.05.2022 के लिए टेण्डर तिथि अंकित हो, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय समय 11.00 बजे से 14.00 तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटी में डाल दिया जाये।
- निर्धारित समय 14.00 बजे के बाद निविदा डालने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- निविदा फार्म में आगणन की लागत से कम प्रतिशत को दर्शाते हुए निविदा भरी जायेगी। किसी टेण्डर में जो भी प्रतिशत निविदा में अंकित किया जाय, उसे स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये। यदि प्रतिशत धनराशि स्पष्ट रूप से अंकित नहीं की जाती है तो टेण्डर फार्म बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। टेण्डर लिफाफे के ऊपर निविदा संख्या का अंकित किया जाना आवश्यक है।
- कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्ष ऋतु को सम्मिलित करते हुए है।
- कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- दीमकरोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य हेतु नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर 10 वर्ष की गारण्टी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
- निविदाओं के खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए अगले कार्य दिवस में न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा कराना एवं अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा कराते हुए अनुबन्ध पूर्ण नहीं होगा तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए अर्नेस्ट मनी जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। जमानत की धनराशि फिक्स डिपोजिट के रूप में ली

- जायेगी। फिक्स डिपाजिट अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड निर्माण इकाई आगरा के नाम बन्धक होना चाहिए जो 15 माह की तिथि तक मान्य होनी चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- 12 निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
  - 13 यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जाँच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकोर उत्तरदायी होगा जिससे वसूली की जायेगी।
  - 14 कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु रू0 100.00 का स्टाम्प पेपर एल-1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा कराना होगा।
  - 15 निविदा डालने के लिए किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
  - 16 आयकर आदि की कटौती नियमानुसार किया जायेगा।
  - 17 जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
  - 18 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
  - 19 निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिनों के अन्दर आगणन के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाना चाहिए। यदि नियत समय के अन्दर कार्य पूरा नहीं कराया जाता है तो पेनाल्टी क्लॉज लागू होगा (क्रमांक-15 के अनुरूप) जमानत धनराशि जब्त करते हुए टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।
  - 20 **"No cost over Run and Penalty (for time over run) Clause"** लागू होगा। **In case of Non completion of Project within the time given by the client the delay in Completion of Project after given time the Penalty will be charged at rate of 1% per week of Project Cost Subject to maximum of 10% of Cost.**
  - 21 निर्माण कार्य को अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में **Debitable Agency** से कार्य कराया जायेगा, जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
  - 22 निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
    - 1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 25 प्रतिशत।
    - 2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमर्सिबल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का- 30 प्रतिशत।
    - 3) संगार्ड-पुताई, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
    - 4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 15 प्रतिशत।
  - 23 कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।
  - 24 जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
  - 25 बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 6 माह पश्चात् अवमुक्त की जायेगी।
  - 26 किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 का निर्णय अन्तिम होगा।

(दिनेश सिंह)  
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपि:-

- 1- महाप्रबन्धक (परि0प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
- 2- नोटिस बोर्ड हेतु।

इकाई प्रभारी



# उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(उ० प्र० शासन का एक प्रतिष्ठान)

निर्माण इकाई-आगरा

जाई.स्त.जो. २००१: २०१५ प्रमाणित

CIN- U 45201 UP 1987 SGC 008642

e-mail:-uppanltd.agra@hotmail.com

पता:- पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा

पत्रांक : १४ /पुआनि/नि.ई.आ./ई-टेण्डरिंग/२२-२३

दिनांक : २०/५/२०२३...

## अल्पकालीन-ई-निविदा सूचना (प्रथम कॉल)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद मथुरा में विभिन्न थानों में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक: ०१.०५.२०२३ को समय १४:०० अपरान्ह तक निविदा आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु० में)	निविदा प्रासेसिंग मूल्य (रु० में)	धरोहर धनराशि (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
१	जनपद मथुरा के थाना शेरगढ़ में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य।	४१९५४९.००	४००.००+G.S.T. निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का १%	९० दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति लगाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ पंजीकृत प्रमाण-पत्र, पेनकार्ड, आधार, हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ धरोहर धनराशि (Earnest Money) की यू०टी०आर० प्रपत्र जमा कराना होगा। धरोहर धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई आगरा के उपरोक्त बैंक खाता संख्या: ०१९३१०१०१८८१०, IFSC Code: CNRB0000193, Canara Bank Jaipur House Colony, Agra. में जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा-२८२०१० में किसी भी कार्य दिवस में समय १०.०० बजे से १४.०० बजे तक रु० ११८.०० (जी०एस०टी० सहित) नकद देकर दिनांक २९.०४.२०२३ तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर दिनांक: ०१.०५.२०२२ के लिए टेण्डर तिथि अंकित हो, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय समय ११.०० बजे से १४.०० तक अनिवार्य रूप से निविदा पेट्टी में डाल दिया जाये।
- निर्धारित समय १४.०० बजे के बाद निविदा डालने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- निविदा फार्म में आगणन की लागत से कम प्रतिशत को दर्शाते हुए निविदा भरी जायेगी। किसी टेण्डर में जो भी प्रतिशत निविदा में अंकित किया जाय, उसे स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये। यदि प्रतिशत धनराशि स्पष्ट रूप से अंकित नहीं की जाती है तो टेण्डर फार्म बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। टेण्डर लिफाफे के ऊपर निविदा संख्या का अंकित किया जाना आवश्यक है।
- कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्ष ऋतु को सम्मिलित करते हुए है।
- कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- दीमकरोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य हेतु नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर १० वर्ष की गारण्टी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
- निविदाओं के खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए अगले कार्य दिवस में न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के एक सप्ताह में ५ प्रतिशत जमानत धनराशि जमा कराना एवं अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा कराते हुए अनुबन्ध पूर्ण नहीं होगा तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए अर्नेस्ट मनी जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। जमानत की धनराशि फिक्स डिपॉजिट के रूप में ली

- जायेगी। फिक्स डिपोजिट अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड निर्माण इकाई आगरा के नाम बन्धक होना चाहिए जो 15 माह की तिथि तक मान्य होनी चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- 12 निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
  - 13 यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जॉच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकोर उत्तरदायी होगा जिससे वसूली की जायेगी।
  - 14 कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु रू0 100.00 का स्टाम्प पेपर एल-1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा कराना होगा।
  - 15 निविदा डालने के लिए किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
  - 16 आयकर आदि की कटौती नियमानुसार किया जायेगा।
  - 17 जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
  - 18 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
  - 19 निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिनों के अन्दर आगणन के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाना चाहिए। यदि नियत समय के अन्दर कार्य पूरा नहीं कराया जाता है तो पेनाल्टी क्लॉज लागू होगा (क्रमांक-15 के अनुरूप) जमानत धनराशि जब्त करते हुए टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।
  - 20 **"No cost over Run and Penalty (for time over run) Clause"** लागू होगा। **In case of Non completion of Project within the time given by the client the delay in Completion of Project after given time the Penalty will be charged at rate of 1% per week of Project Cost Subject to maximum of 10% of Cost.**
  - 21 निर्माण कार्य को अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में **Debitable Agency** से कार्य कराया जायेगा, जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
  - 22 निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
    - 1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 25 प्रतिशत।
    - 2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमर्सिबल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
    - 3) संगार्ड-पुताई, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
    - 4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 15 प्रतिशत।
  - 23 कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।
  - 24 जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
  - 25 बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 6 माह पश्चात् अवमुक्त की जायेगी।
  - 26 किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 का निर्णय अन्तिम होगा।

(दिनेश सिंह)  
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपि:-

- 1- महाप्रबन्धक (परि0प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
- 2- नोटिस बोर्ड हेतु।

इकाई प्रभारी



# उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(उ० प्र० शासन का एक प्रतिष्ठान)

निर्माण इकाई-आगरा

आई.एस.ओ. 9001: 2015 प्रमाणित

CIN- U 45201 UP 1987 SGC 008642

e-mail:-uppanltd.agra@hotmail.com

पता:- पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा

दिनांक : 29/4/2023

पत्रांक : 99 / पुआनि / नि.ई.आ. / ई-टेण्डरिंग / 22-23

## अल्पकालीन-ई-निविदा सूचना (प्रथम कॉल)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद मथुरा में विभिन्न थानों में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक: 01.05.2023 को समय 14:00 अपराह्न तक निविदा आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु० में)	निविदा प्रासेसिंग मूल्य (रु० में)	धरोहर धनराशि (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	जनपद मथुरा के थाना राया में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य।	419549.00	400.00+G.S.T. निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति लगाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ पंजीकृत प्रमाण-पत्र, पेनकार्ड, आधार, हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ धरोहर धनराशि (Earnest Money) की यू०टी०आर० प्रपत्र जमा कराना होगा। धरोहर धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई आगरा के उपरोक्त बैंक खाता संख्या: 0193101018810, IFSC Code: CNRB0000193, Canara Bank Jaipur House Colony, Agra. में जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा-282010 में किसी भी कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे तक रु० 118.00 (जी०एस०टी० सहित) नकद देकर दिनांक 29.04.2023 तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर दिनांक: 01.05.2022 के लिए टेण्डर तिथि अंकित हो, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय समय 11.00 बजे से 14.00 तक अनिवार्य रूप से निविदा पेट्टी में डाल दिया जाये।
- निर्धारित समय 14.00 बजे के बाद निविदा डालने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- निविदा फार्म में आगणन की लागत से कम प्रतिशत को दर्शाते हुए निविदा भरी जायेगी। किसी टेण्डर में जो भी प्रतिशत निविदा में अंकित किया जाय, उसे स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये। यदि प्रतिशत धनराशि स्पष्ट रूप से अंकित नहीं की जाती है तो टेण्डर फार्म बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। टेण्डर लिफाफे के ऊपर निविदा संख्या का अंकित किया जाना आवश्यक है।
- कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्ष ऋतु को सम्मिलित करते हुए है।
- कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- दीमकरोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य हेतु नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर 10 वर्ष की गारण्टी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
- निविदाओं के खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए अगले कार्य दिवस में न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा कराना एवं अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा कराते हुए अनुबन्ध पूर्ण नहीं होगा तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए अर्नेस्ट मनी जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। जमानत की धनराशि फिक्स डिपॉजिट के रूप में ली

- जायेगी। फिक्स डिपोजिट अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड निर्माण इकाई आगरा के नाम बन्धक होना चाहिए जो 15 माह की तिथि तक मान्य होनी चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- 12 निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
  - 13 यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जाँच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा जिससे वसूली की जायेगी।
  - 14 कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु ₹0 100.00 का स्टाम्प पेपर एल-1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा कराना होगा।
  - 15 निविदा डालने के लिए किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
  - 16 आयकर आदि की कटौती नियमानुसार किया जायेगा।
  - 17 जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
  - 18 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
  - 19 निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिनों के अन्दर आगणन के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाना चाहिए। यदि नियत समय के अन्दर कार्य पूरा नहीं कराया जाता है तो पेनाल्टी क्लॉज लागू होगा (क्रमांक-15 के अनुरूप) जमानत धनराशि जब्त करते हुए टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।
  - 20 **"No cost over Run and Penalty (for time over run) Clause"** लागू होगा। **In case of Non completion of Project within the time given by the client the delay in Completion of Project after given time the Penalty will be charged at rate of 1% per week of Project Cost Subject to maximum of 10% of Cost.**
  - 21 निर्माण कार्य को अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में **Debitable Agency** से कार्य कराया जायेगा, जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
  - 22 निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
    - 1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 25 प्रतिशत।
    - 2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमर्सिबल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
    - 3) संगार्ष-पुतार्ष, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
    - 4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 15 प्रतिशत।
  - 23 कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।
  - 24 जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
  - 25 बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 6 माह पश्चात् अवमुक्त की जायेगी।
  - 26 किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 का निर्णय अन्तिम होगा।

(दिनेश सिंह)  
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपि:-

- 1- महाप्रबन्धक (परि0प्रबध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
- 2- नोटिस बोर्ड हेतु।

इकाई प्रभारी





# उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(उ० प्र० शासन का एक प्रतिष्ठान)

निर्माण इकाई-आगरा

आई.एस.ओ. 9001: 2015 प्रमाणित

CIN- U 45201 UP 1987 SGC 008642

e-mail:-uppanltd.agra@hotmail.com

पता:- पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा

दिनांक : 24.4.2023.

पत्रांक : 100 / पुआनि/नि.ई.आ./ई-टेण्डरिंग/22-23

## अल्पकालीन-ई-निविदा सूचना (प्रथम कॉल)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद मथुरा में विभिन्न थानों में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक: 01.05.2023 को समय 14:00 अपरान्ह तक निविदा आमत्रित की जाती है, जो उसी दिन अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु० में)	निविदा प्रासेसिंग मूल्य (रु० में)	धरोहर धनराशि (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	जनपद मथुरा के थाना फरह में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य।	400016.00	400.00 +G.S.T. निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति लगाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ पंजीकृत प्रमाण-पत्र, पेनकार्ड, आधार, हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ धरोहर धनराशि (Earnest Money) की यू०टी०आर० प्रपत्र जमा कराना होगा। धरोहर धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई आगरा के उपरोक्त बैंक खाता संख्या: 0193101018810, IFSC Code: CNRB0000193, Canara Bank Jaipur House Colony, Agra. में जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा-282010 में किसी भी कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे तक रु० 118.00 (जी०एस०टी० सहित) नकद देकर दिनांक 29.04.2023 तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर दिनांक: 01.05.2022 के लिए टेण्डर तिथि अंकित हो, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय समय 11.00 बजे से 14.00 तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटी में डाल दिया जाये।
- निर्धारित समय 14.00 बजे के बाद निविदा डालने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- निविदा फार्म में आगणन की लागत से कम प्रतिशत को दर्शाते हुए निविदा भरी जायेगी। किसी टेण्डर में जो भी प्रतिशत निविदा में अंकित किया जाय, उसे स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये। यदि प्रतिशत धनराशि स्पष्ट रूप से अंकित नहीं की जाती है तो टेण्डर फार्म बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। टेण्डर लिफाफे के ऊपर निविदा संख्या का अंकित किया जाना आवश्यक है।
- कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्ष ऋतु को सम्मिलित करते हुए है।
- कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- दीमकरोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य हेतु नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर 10 वर्ष की गारण्टी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
- निविदाओं के खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए अगले कार्य दिवस में न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा कराना एवं अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा कराते हुए अनुबन्ध पूर्ण नहीं होगा तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए अर्नेस्ट मनी जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। जमानत की धनराशि फिक्स डिपोजिट के रूप में ली

- जायेगी। फिक्स डिपाजिट अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड निर्माण इकाई आगरा के नाम बन्धक होना चाहिए जो 15 माह की तिथि तक मान्य होनी चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- 12 निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
  - 13 यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जाँच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकोर उत्तरदायी होगा जिससे वसूली की जायेगी।
  - 14 कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु ₹0 100.00 का स्टाम्प पेपर एल-1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा कराना होगा।
  - 15 निविदा डालने के लिए किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
  - 16 आयकर आदि की कटौती नियमानुसार किया जायेगा।
  - 17 जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
  - 18 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
  - 19 निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिनों के अन्दर आगणन के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाना चाहिए। यदि नियत समय के अन्दर कार्य पूरा नहीं कराया जाता है तो पेनाल्टी क्लॉज लागू होगा (क्रमांक-15 के अनुरूप) जमानत धनराशि जब्त करते हुए टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।
  - 20 **"No cost over Run and Penalty (for time over run) Clause"** लागू होगा। **In case of Non completion of Project within the time given by the client the delay in Completion of Project after given time the Penalty will be charged at rate of 1% per week of Project Cost Subject to maximum of 10% of Cost.**
  - 21 निर्माण कार्य को अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में **Debitable Agency** से कार्य कराया जायेगा, जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
  - 22 निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
    - 1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 25 प्रतिशत।
    - 2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमर्सिबल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
    - 3) संगारई-पुताई, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
    - 4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 15 प्रतिशत।
  - 23 कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।
  - 24 जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
  - 25 बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 6 माह पश्चात् अवमुक्त की जायेगी।
  - 26 किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 का निर्णय अन्तिम होगा।

(दिनेश सिंह)  
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपि:-

- 1- महाप्रबन्धक (परि0प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेवसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
- 2- नोटिस बोर्ड हेतु।

इकाई प्रभारी



# उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(उ० प्र० शासन का एक प्रतिष्ठान)

## निर्माण इकाई-आगरा

आर्द.स्त.जो. २००१: २०१५ प्रमाणित

CIN- U 45201 UP 1987 SGC 008642

e-mail:-uppanltd.agra@hotmail.com

पता:- पुलिस लाइन (परेड ग्राउड के सामने) आगरा

दिनांक : 29/4/2023...

पत्रांक : 101 / पुआनि / नि.ई.आ. / ई-टेण्डरिंग / 22-23

### अल्पकालीन-ई-निविदा सूचना (प्रथम कॉल)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद मथुरा में विभिन्न थानों में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक: 01.05.2023 को समय 14:00 अपराह्न तक निविदा आमत्रित की जाती है, जो उसी दिन अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु० में)	निविदा प्रासेसिंग मूल्य (रु० में)	धरोहर धनराशि (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	जनपद मथुरा के थाना वृंदावन में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य।	415339.00	400.00 +G.S.T. निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति लगाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ पंजीकृत प्रमाण-पत्र, पेनकार्ड, आधार, हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ धरोहर धनराशि (Earnest Money) की यू०टी०आर० प्रपत्र जमा कराना होगा। धरोहर धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई आगरा के उपरोक्त बैंक खाता संख्या: 0193101018810, IFSC Code: CNRB0000193, Canara Bank Jaipur House Colony, Agra. में जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय पुलिस लाइन (परेड ग्राउड के सामने) आगरा-282010 में किसी भी कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे तक रु० 118.00 (जी०एस०टी० सहित) नकद देकर दिनांक 29.04.2023 तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर दिनांक: 01.05.2022 के लिए टेण्डर तिथि अंकित हो, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय समय 11.00 बजे से 14.00 तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटी में डाल दिया जाये।
- निर्धारित समय 14.00 बजे के बाद निविदा डालने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- निविदा फार्म में आगणन की लागत से कम प्रतिशत को दर्शाते हुए निविदा भरी जायेगी। किसी टेण्डर में जो भी प्रतिशत निविदा में अंकित किया जाय, उसे स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये। यदि प्रतिशत धनराशि स्पष्ट रूप से अंकित नहीं की जाती है तो टेण्डर फार्म बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। टेण्डर लिफाफे के ऊपर निविदा संख्या का अंकित किया जाना आवश्यक है।
- कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्ष ऋतु को सम्मिलित करते हुए है।
- कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- दीमकरोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य हेतु नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर 10 वर्ष की गारण्टी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
- निविदाओं के खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए अगले कार्य दिवस में न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा कराना एवं अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा कराते हुए अनुबन्ध पूर्ण नहीं होगा तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए अर्नेस्ट मनी जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। जमानत की धनराशि फिक्स डिपोजिट के रूप में ली

- जायेगी। फिक्स डिपोजिट अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड निर्माण इकाई आगरा के नाम बन्धक होना चाहिए जो 15 माह की तिथि तक मान्य होनी चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- 12 निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
  - 13 यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जॉच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकार उत्तरदायी होगा जिससे वसूली की जायेगी।
  - 14 कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु रू0 100.00 का स्टाम्प पेपर एल-1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा कराना होगा।
  - 15 निविदा डालने के लिए किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
  - 16 आयकर आदि की कटौती नियमानुसार किया जायेगा।
  - 17 जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
  - 18 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
  - 19 निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिनों के अन्दर आगणन के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाना चाहिए। यदि नियत समय के अन्दर कार्य पूरा नहीं कराया जाता है तो पेनाल्टी क्लॉज लागू होगा (क्रमांक-15 के अनुरूप) जमानत धनराशि जब्त करते हुए टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।
  - 20 **"No cost over Run and Penalty (for time over run) Clause"** लागू होगा। **In case of Non completion of Project within the time given by the client the delay in Completion of Project after given time the Penalty will be charged at rate of 1% per week of Project Cost Subject to maximum of 10% of Cost.**
  - 21 निर्माण कार्य को अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में **Debitable Agency** से कार्य कराया जायेगा, जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
  - 22 निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
    - 1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 25 प्रतिशत।
    - 2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमर्सिबल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
    - 3) संगार्ड-पुताई, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
    - 4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 15 प्रतिशत।
  - 23 कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।
  - 24 जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
  - 25 बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 6 माह पश्चात् अवमुक्त की जायेगी।
  - 26 किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 का निर्णय अन्तिम होगा।

(दिनेश सिंह)  
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपि:-

- 1- महाप्रबन्धक (परि0प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेवसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
- 2- नोटिस बोर्ड हेतु।

इकाई प्रभारी



# उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(उ० प्र० शासन का एक प्रतिष्ठान)

निर्माण इकाई-आगरा

आई.एस.ओ. 9001: 2015 प्रमाणित

CIN- U 45201 UP 1987 SGC 008642

e-mail:-uppanltd.agra@hotmail.com

पता:- पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा

दिनांक : 29/4/2023...

पत्रांक : 102 / पुआनि / नि.ई.आ. / ई-टेण्डरिंग / 22-23

## अल्पकालीन-ई-निविदा सूचना (प्रथम कॉल)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद मथुरा में विभिन्न थानों में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक: 01.05.2023 को समय 14:00 अपरान्ह तक निविदा आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु० में)	निविदा प्रासेसिंग मूल्य (रु० में)	धरोहर धनराशि (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	जनपद मथुरा के थाना बलदेव में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य।	400016.00	400.00+G.S.T. निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति लगाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ पंजीकृत प्रमाण-पत्र, पेनकार्ड, आधार, हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ धरोहर धनराशि (Earnest Money) की यू०टी०आर० प्रपत्र जमा कराना होगा। धरोहर धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई आगरा के उपरोक्त बैंक खाता संख्या: 0193101018810, IFSC Code: CNRB0000193, Canara Bank Jaipur House Colony, Agra. में जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा-282010 में किसी भी कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे तक रु० 118.00 (जी०एस०टी० सहित) नकद देकर दिनांक 29.04.2023 तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर दिनांक: 01.05.2022 के लिए टेण्डर तिथि अंकित हो, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय समय 11.00 बजे से 14.00 तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटी में डाल दिया जाये।
- निर्धारित समय 14.00 बजे के बाद निविदा डालने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- निविदा फार्म में आगणन की लागत से कम प्रतिशत को दर्शाते हुए निविदा भरी जायेगी। किसी टेण्डर में जो भी प्रतिशत निविदा में अंकित किया जाय, उसे स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये। यदि प्रतिशत धनराशि स्पष्ट रूप से अंकित नहीं की जाती है तो टेण्डर फार्म बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। टेण्डर लिफाफे के ऊपर निविदा संख्या का अंकित किया जाना आवश्यक है।
- कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्ष ऋतु को सम्मिलित करते हुए है।
- कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- दीमकरोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य हेतु नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर 10 वर्ष की गारण्टी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
- निविदाओं के खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए अगले कार्य दिवस में न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा कराना एवं अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा कराते हुए अनुबन्ध पूर्ण नहीं होगा तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए अर्नेस्ट मनी जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। जमानत की धनराशि फिक्स डिपोजिट के रूप में ली

- जायेगी। फिक्स डिपोजिट अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड निर्माण इकाई आगरा के नाम बन्धक होना चाहिए जो 15 माह की तिथि तक मान्य होनी चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- 12 निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
  - 13 यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जाँच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकोर उत्तरदायी होगा जिससे वसूली की जायेगी।
  - 14 कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु ₹0 100.00 का स्टाम्प पेपर एल-1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा कराना होगा।
  - 15 निविदा डालने के लिए किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
  - 16 आयकर आदि की कटौती नियमानुसार किया जायेगा।
  - 17 जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
  - 18 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
  - 19 निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिनों के अन्दर आगणन के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाना चाहिए। यदि नियत समय के अन्दर कार्य पूरा नहीं कराया जाता है तो पेनाल्टी क्लॉज लागू होगा (क्रमांक-15 के अनुरूप) जमानत धनराशि जब्त करते हुए टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।
  - 20 **"No cost over Run and Penalty (for time over run) Clause"** लागू होगा। **In case of Non completion of Project within the time given by the client the delay in Completion of Project after given time the Penalty will be charged at rate of 1% per week of Project Cost Subject to maximum of 10% of Cost.**
  - 21 निर्माण कार्य को अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में **Debitable Agency** से कार्य कराया जायेगा, जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
  - 22 निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
    - 1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 25 प्रतिशत।
    - 2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमर्सिबल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
    - 3) संगारई-पुतारई, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
    - 4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 15 प्रतिशत।
  - 23 कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।
  - 24 जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
  - 25 बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 6 माह पश्चात् अवमुक्त की जायेगी।
  - 26 किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 का निर्णय अन्तिम होगा।

(दिनेश सिंह)  
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपि:-

- 1- महाप्रबन्धक (परि0प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
- 2- नोटिस बोर्ड हेतु।

इकाई प्रभारी



# उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(उ० प्र० शासन का एक प्रतिष्ठान)

निर्माण इकाई-आगरा

आई.एस.ओ. 9001: 2015 प्रमाणित

CIN- U 45201 UP 1987 SGC 008642

e-mail:-uppanltd.agra@hotmail.com

पता:- पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा

दिनांक : 29/4/23

पत्रांक : 103 / पुआनि / नि.ई.आ. / ई-टेण्डरिंग / 22-23

## अल्पकालीन-ई-निविदा सूचना (प्रथम कॉल)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद मथुरा में विभिन्न थानों में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक: 01.05.2023 को समय 14:00 अपरान्ह तक निविदा आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु० में)	निविदा प्रासेसिंग मूल्य (रु० में)	धरोहर धनराशि (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	जनपद मथुरा के थाना सुरीर में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य।	415339.00	400.00+G.S.T. निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति लगाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ पंजीकृत प्रमाण-पत्र, पेनकार्ड, आधार, हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ धरोहर धनराशि (Earnest Money) की यू०टी०आर० प्रपत्र जमा कराना होगा। धरोहर धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई आगरा के उपरोक्त बैंक खाता संख्या: 0193101018810, IFSC Code: CNRB0000193, Canara Bank Jaipur House Colony, Agra. में जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा-282010 में किसी भी कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे तक रु० 118.00 (जी०एस०टी० सहित) नकद देकर दिनांक 29.04.2023 तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर दिनांक: 01.05.2022 के लिए टेण्डर तिथि अंकित हो, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय समय 11.00 बजे से 14.00 तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटी में डाल दिया जाये।
- निर्धारित समय 14.00 बजे के बाद निविदा डालने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- निविदा फार्म में आगणन की लागत से कम प्रतिशत को दर्शाते हुए निविदा भरी जायेगी। किसी टेण्डर में जो भी प्रतिशत निविदा में अंकित किया जाय, उसे स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये। यदि प्रतिशत धनराशि स्पष्ट रूप से अंकित नहीं की जाती है तो टेण्डर फार्म बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। टेण्डर लिफाफे के ऊपर निविदा संख्या का अंकित किया जाना आवश्यक है।
- कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्ष ऋतु को सम्मिलित करते हुए है।
- कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- दीमकरोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य हेतु नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर 10 वर्ष की गारण्टी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
- निविदाओं के खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए अगले कार्य दिवस में न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा कराना एवं अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा कराते हुए अनुबन्ध पूर्ण नहीं होगा तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए अर्नेस्ट मनी जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। जमानत की धनराशि फिक्स डिपोजिट के रूप में ली

- जायेगी। फिक्स डिपोजिट अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड निर्माण इकाई आगरा के नाम बन्धक होना चाहिए जो 15 माह की तिथि तक मान्य होनी चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- 12 निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
  - 13 यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जॉच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा जिससे वसूला का जायेगी।
  - 14 कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु रू0 100.00 का स्टाम्प पेपर एल-1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा कराना होगा।
  - 15 निविदा डालने के लिए किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
  - 16 आयकर आदि की कटौती नियमानुसार किया जायेगा।
  - 17 जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
  - 18 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
  - 19 निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिनों के अन्दर आगणन के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाना चाहिए। यदि नियत समय के अन्दर कार्य पूरा नहीं कराया जाता है तो पेनाल्टी क्लॉज लागू होगा (क्रमांक-15 के अनुरूप) जमानत धनराशि जब्त करते हुए टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।
  - 20 **"No cost over Run and Penalty (for time over run) Clause"** लागू होगा। **In case of Non completion of Project within the time given by the client the delay in Completion of Project after given time the Penalty will be charged at rate of 1% per week of Project Cost Subject to maximum of 10% of Cost.**
  - 21 निर्माण कार्य को अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में **Debitable Agency** से कार्य कराया जायेगा, जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
  - 22 निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
    - 1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 25 प्रतिशत।
    - 2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमर्सिबल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का- 30 प्रतिशत।
    - 3) संगार्ष-पुतार्ष, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
    - 4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 15 प्रतिशत।
  - 23 कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।
  - 24 जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
  - 25 बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 6 माह पश्चात् अवमुक्त की जायेगी।
  - 26 किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 का निर्णय अन्तिम होगा।

(दिनेश सिंह)  
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपि:-

- 1- महाप्रबन्धक (परि0प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
- 2- नोटिस बोर्ड हेतु।

इकाई प्रभारी





# उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(उ० प्र० शासन का एक प्रतिष्ठान)

निर्माण इकाई-आगरा

आई.एस.ओ. 9001: 2015 प्रमाणित

CIN- U 45201 UP 1987 SGC 008642

e-mail:-uppanitd.agra@hotmail.com

पता:- पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा

दिनांक : 2.5/5/2023..

पत्रांक : 104/पुआनि/नि.ई.आ./ई-टेण्डरिंग/22-23

## अल्पकालीन-ई-निविदा सूचना (प्रथम कॉल)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद मथुरा में विभिन्न थानों में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक: 01.05.2023 को समय 14:00 अपरान्ह तक निविदा आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु० में)	निविदा प्रासेसिंग मूल्य (रु० में)	धरोहर धनराशि (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	जनपद मथुरा के थाना गौवर्धन में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य।	419549.00	400.00+G.S.T. निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति लगाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ पंजीकृत प्रमाण-पत्र, पेनकार्ड, आधार, हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ धरोहर धनराशि (Earnest Money) की यू०टी०आर० प्रपत्र जमा कराना होगा। धरोहर धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई आगरा के उपरोक्त बैंक खाता संख्या: 0193101018810, IFSC Code: CNRB0000193, Canara Bank Jaipur House Colony, Agra. में जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा-282010 में किसी भी कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे तक रु० 118.00 (जी०एस०टी० सहित) नकद देकर दिनांक 29.04.2023 तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर दिनांक: 01.05.2022 के लिए टेण्डर तिथि अंकित हो, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय समय 11.00 बजे से 14.00 तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटी में डाल दिया जाये।
- निर्धारित समय 14.00 बजे के बाद निविदा डालने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- निविदा फार्म में आगणन की लागत से कम प्रतिशत को दर्शाते हुए निविदा भरी जायेगी। किसी टेण्डर में जो भी प्रतिशत निविदा में अंकित किया जाय, उसे स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये। यदि प्रतिशत धनराशि स्पष्ट रूप से अंकित नहीं की जाती है तो टेण्डर फार्म बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। टेण्डर लिफाफे के ऊपर निविदा संख्या का अंकित किया जाना आवश्यक है।
- कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्ष ऋतु को सम्मिलित करते हुए है।
- कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- दीमकरोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य हेतु नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर 10 वर्ष की गारण्टी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
- निविदाओं के खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए अगले कार्य दिवस में न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा कराना एवं अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा कराते हुए अनुबन्ध पूर्ण नहीं होगा तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए अर्नेस्ट मनी जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। जमानत की धनराशि फिक्स डिपोजिट के रूप में ली

- जायेगी। फिक्स डिपॉजिट अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड निर्माण इकाई आगरा के नाम बन्धक होना चाहिए जो 15 माह की तिथि तक मान्य होनी चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- 12 निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
  - 13 यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जॉब में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा जिससे वसूली की जायेगी।
  - 14 कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु ₹0 100.00 का स्टाम्प पेपर एल-1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा कराना होगा।
  - 15 निविदा डालने के लिए किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
  - 16 आयकर आदि की कटौती नियमानुसार किया जायेगा।
  - 17 जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
  - 18 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
  - 19 निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिनों के अन्दर आगणन के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाना चाहिए। यदि नियत समय के अन्दर कार्य पूरा नहीं कराया जाता है तो पेनाल्टी क्लॉज लागू होगा (क्रमांक-15 के अनुरूप) जमानत धनराशि जब्त करते हुए टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।
  - 20 **"No cost over Run and Penalty (for time over run) Clause"** लागू होगा। **In case of Non completion of Project within the time given by the client the delay in Completion of Project after given time the Penalty will be charged at rate of 1% per week of Project Cost Subject to maximum of 10% of Cost.**
  - 21 निर्माण कार्य को अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में **Debitable Agency** से कार्य कराया जायेगा, जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
  - 22 निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
    - 1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 25 प्रतिशत।
    - 2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमर्सिबल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
    - 3) संगार्ड-पुताई, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
    - 4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 15 प्रतिशत।
  - 23 कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।
  - 24 जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
  - 25 बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 6 माह पश्चात् अवमुक्त की जायेगी।
  - 26 किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 का निर्णय अन्तिम होगा।

(दिनेश सिंह)  
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपि:-

- 1- महाप्रबन्धक (परि0प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
- 2- नोटिस बोर्ड हेतु।

इकाई प्रभारी



# उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(उ० प्र० शासन का एक प्रतिष्ठान)

निर्माण इकाई-आगरा

आई.एस.ओ. 9001: 2015 प्रमाणित

CIN- U 45201 UP 1987 SGC 008642

e-mail:-uppanltd.agra@hotmail.com

पता:- पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा

दिनांक : 22/4/2023

पत्रांक : 105/पुआनि/नि.ई.आ./ई-टेण्डरिंग/22-23

## अल्पकालीन-ई-निविदा सूचना (प्रथम कॉल)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद मथुरा में विभिन्न थानों में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक: 01.05.2023 को समय 14:00 अपरान्ह तक निविदा आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु० में)	निविदा प्रासेसिंग मूल्य (रु० में)	धरोहर धनराशि (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	जनपद मथुरा के थाना कोसीकलां में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य।	400016.00	400.00+G.S.T. निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन


- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति लगाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ पंजीकृत प्रमाण-पत्र, पेनकार्ड, आधार, हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ धरोहर धनराशि (Earnest Money) की यू०टी०आर० प्रपत्र जमा कराना होगा। धरोहर धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई आगरा के उपरोक्त बैंक खाता संख्या: 0193101018810, IFSC Code: CNRB0000193, Canara Bank Jaipur House Colony, Agra. में जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा-282010 में किसी भी कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे तक रु० 118.00 (जी०एस०टी० सहित) नकद देकर दिनांक 29.04.2023 तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर दिनांक: 01.05.2022 के लिए टेण्डर तिथि अंकित हो, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय समय 11.00 बजे से 14.00 तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटी में डाल दिया जाये।
- निर्धारित समय 14.00 बजे के बाद निविदा डालने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- निविदा फार्म में आगणन की लागत से कम प्रतिशत को दर्शाते हुए निविदा भरी जायेगी। किसी टेण्डर में जो भी प्रतिशत निविदा में अंकित किया जाय, उसे स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये। यदि प्रतिशत धनराशि स्पष्ट रूप से अंकित नहीं की जाती है तो टेण्डर फार्म बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। टेण्डर लिफाफे के ऊपर निविदा संख्या का अंकित किया जाना आवश्यक है।
- कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्ष ऋतु को सम्मिलित करते हुए है।
- कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- दीमकरोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य हेतु नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर 10 वर्ष की गारण्टी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
- निविदाओं के खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए अगले कार्य दिवस में न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा कराना एवं अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा कराते हुए अनुबन्ध पूर्ण नहीं होगा तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए अर्नेस्ट मनी जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। जमानत की धनराशि फिक्स डिपोजिट के रूप में ली

- जायेगी। फिक्स डिपॉजिट अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड निर्माण इकाई आगरा के नाम बन्धक होना चाहिए जो 15 माह की तिथि तक मान्य होनी चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- 12 निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
  - 13 यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जॉच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा जिससे वसूला का जायेगी।
  - 14 कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु रू0 100.00 का स्टाम्प पेपर एल-1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा कराना होगा।
  - 15 निविदा डालने के लिए किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
  - 16 आयकर आदि की कटौती नियमानुसार किया जायेगा।
  - 17 जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
  - 18 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
  - 19 निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिनों के अन्दर आगणन के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाना चाहिए। यदि नियत समय के अन्दर कार्य पूरा नहीं कराया जाता है तो पेनाल्टी क्लॉज लागू होगा (क्रमांक-15 के अनुरूप) जमानत धनराशि जब्त करते हुए टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।
  - 20 **"No cost over Run and Penalty (for time over run) Clause"** लागू होगा। **In case of Non completion of Project within the time given by the client the delay in Completion of Project after given time the Penalty will be charged at rate of 1% per week of Project Cost Subject to maximum of 10% of Cost.**
  - 21 निर्माण कार्य को अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में **Debitable Agency** से कार्य कराया जायेगा, जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
  - 22 निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
    - 1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 25 प्रतिशत।
    - 2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमर्सिबल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का- 30 प्रतिशत।
    - 3) संगार्ड-पुताई, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
    - 4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 15 प्रतिशत।
  - 23 कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।
  - 24 जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
  - 25 बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 6 माह पश्चात् अवमुक्त की जायेगी।
  - 26 किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 का निर्णय अन्तिम होगा।

(दिनेश सिंह)  
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपि:-

- 1- महाप्रबन्धक (परि0प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
- 2- नोटिस बोर्ड हेतु।

  
इकाई प्रभारी



# उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(उ० प्र० शासन का एक प्रतिष्ठान)

निर्माण इकाई-आगरा

आई.एस.ओ. 9001: 2015 प्रमाणित

CIN- U 45201 UP 1987 SGC 008642

e-mail:-uppanltd.agra@hotmail.com

पता:- पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा

दिनांक : 20/4/2023.

पत्रांक : 106/पुआनि/नि.ई.आ./ई-टेण्डरिंग/22-23

## अल्पकालीन-ई-निविदा सूचना (प्रथम कॉल)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद मथुरा में विभिन्न थानों में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक: 01.05.2023 को समय 14:00 अपरान्ह तक निविदा आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु० में)	निविदा प्रासेसिंग मूल्य (रु० में)	धरोहर धनराशि (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	जनपद मथुरा के थाना महावन में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य।	400016.00	400.00+G.S.T. निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति लगाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ पंजीकृत प्रमाण-पत्र, पेनकार्ड, आधार, हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ धरोहर धनराशि (Earnest Money) की यू०टी०आर० प्रपत्र जमा कराना होगा। धरोहर धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई आगरा के उपरोक्त बैंक खाता संख्या: 0193101018810, IFSC Code: CNRB0000193, Canara Bank Jaipur House Colony, Agra. में जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा-282010 में किसी भी कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे तक रु० 118.00 (जी०एस०टी० सहित) नकद देकर दिनांक 29.04.2023 तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर दिनांक: 01.05.2022 के लिए टेण्डर तिथि अंकित हो, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय समय 11.00 बजे से 14.00 तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटी में डाल दिया जाये।
- निर्धारित समय 14.00 बजे के बाद निविदा डालने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- निविदा फार्म में आगणन की लागत से कम प्रतिशत को दर्शाते हुए निविदा भरी जायेगी। किसी टेण्डर में जो भी प्रतिशत निविदा में अंकित किया जाय, उसे स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये। यदि प्रतिशत धनराशि स्पष्ट रूप से अंकित नहीं की जाती है तो टेण्डर फार्म बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। टेण्डर लिफाफे के ऊपर निविदा संख्या का अंकित किया जाना आवश्यक है।
- कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्ष ऋतु को सम्मिलित करते हुए है।
- कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- दीमकरोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य हेतु नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर 10 वर्ष की गारण्टी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
- निविदाओं के खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए अगले कार्य दिवस में न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा कराना एवं अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा कराते हुए अनुबन्ध पूर्ण नहीं होगा तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए अर्नेस्ट मनी जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। जमानत की धनराशि फिक्स डिपोजिट के रूप में ली

- जायेगी। फिक्स डिपॉजिट अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड निर्माण इकाई आगरा के नाम बन्धक होना चाहिए जो 15 माह की तिथि तक मान्य होनी चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- 12 निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
  - 13 यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जाँच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकोर उत्तरदायी होगा जिससे वसूली की जायेगी।
  - 14 कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु ₹0 100.00 का स्टाम्प पेपर एल-1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा कराना होगा।
  - 15 निविदा डालने के लिए किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
  - 16 आयकर आदि की कटौती नियमानुसार किया जायेगा।
  - 17 जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
  - 18 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
  - 19 निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिनों के अन्दर आगणन के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाना चाहिए। यदि नियत समय के अन्दर कार्य पूरा नहीं कराया जाता है तो पेनाल्टी क्लॉज लागू होगा (क्रमांक-15 के अनुरूप) जमानत धनराशि जब्त करते हुए टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।
  - 20 **"No cost over Run and Penalty (for time over run) Clause"** लागू होगा। **In case of Non completion of Project within the time given by the client the delay in Completion of Project after given time the Penalty will be charged at rate of 1% per week of Project Cost Subject to maximum of 10% of Cost.**
  - 21 निर्माण कार्य को अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में **Debitable Agency** से कार्य कराया जायेगा, जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
  - 22 निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
    - 1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 25 प्रतिशत।
    - 2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमर्सिबल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
    - 3) संगार्ड-पुताई, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
    - 4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 15 प्रतिशत।
  - 23 कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।
  - 24 जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
  - 25 बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 6 माह पश्चात् अवमुक्त की जायेगी।
  - 26 किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 का निर्णय अन्तिम होगा।

(दिनेश सिंह)  
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपि:-

- 1- महाप्रबन्धक (परि0प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
- 2- नोटिस बोर्ड हेतु।

इकाई प्रभारी



# उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(उ० प्र० शासन का एक प्रतिष्ठान)

निर्माण इकाई-आगरा

आई.एस.ओ. 9001: 2015 प्रमाणित

CIN- U 45201 UP 1987 SGC 008642

e-mail:-uppanltd.agra@hotmail.com

पता:- पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा

पत्रांक : 107 / पुआनि / नि.ई.आ. / ई-टेण्डरिंग / 22-23

दिनांक : 25/04/2023..

## अल्पकालीन-ई-निविदा सूचना (प्रथम कॉल)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद मथुरा में विभिन्न थानों में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक: 01.05.2023 को समय 14:00 अपराह्न तक निविदा आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु० में)	निविदा प्रासेसिंग मूल्य (रु० में)	धरोहर धनराशि (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	जनपद मथुरा के थाना गोविन्द नगर में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य।	400016.00	400.00+G.S.T. निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति लगाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ पंजीकृत प्रमाण-पत्र, पेनकार्ड, आधार, हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ धरोहर धनराशि (Earnest Money) की यू०टी०आर० प्रपत्र जमा कराना होगा। धरोहर धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई आगरा के उपरोक्त बैंक खाता संख्या: 0193101018810, IFSC Code: CNRB0000193, Canara Bank Jaipur House Colony, Agra. में जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा-282010 में किसी भी कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे तक रु० 118.00 (जी०एस०टी० सहित) नकद देकर दिनांक 29.04.2023 तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर दिनांक: 01.05.2022 के लिए टेण्डर तिथि अंकित हो, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय समय 11.00 बजे से 14.00 तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटी में डाल दिया जाये।
- निर्धारित समय 14.00 बजे के बाद निविदा डालने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- निविदा फार्म में आगणन की लागत से कम प्रतिशत को दर्शाते हुए निविदा भरी जायेगी। किसी टेण्डर में जो भी प्रतिशत निविदा में अंकित किया जाय, उसे स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये। यदि प्रतिशत धनराशि स्पष्ट रूप से अंकित नहीं की जाती है तो टेण्डर फार्म बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। टेण्डर लिफाफे के ऊपर निविदा संख्या का अंकित किया जाना आवश्यक है।
- कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्ष ऋतु को सम्मिलित करते हुए है।
- कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- दीमकरोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य हेतु नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर 10 वर्ष की गारण्टी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
- निविदाओं के खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए अगले कार्य दिवस में न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा कराना एवं अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा कराते हुए अनुबन्ध पूर्ण नहीं होगा तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए अर्नेस्ट मनी जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। जमानत की धनराशि फिक्स डिपॉजिट के रूप में ली

- जायेगी। फिक्स डिपाजिट अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड निर्माण इकाई आगरा के नाम बन्धक होना चाहिए जो 15 माह की तिथि तक मान्य होनी चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- 12 निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
  - 13 यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जाँच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा जिससे वसूला जायेगी।
  - 14 कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु रू0 100.00 का स्टाम्प पेपर एल-1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा कराना होगा।
  - 15 निविदा डालने के लिए किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
  - 16 आयकर आदि की कटौती नियमानुसार किया जायेगा।
  - 17 जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
  - 18 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
  - 19 निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिनों के अन्दर आगणन के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाना चाहिए। यदि नियत समय के अन्दर कार्य पूरा नहीं कराया जाता है तो पेनाल्टी क्लॉज लागू होगा (क्रमांक-15 के अनुरूप) जमानत धनराशि जब्त करते हुए टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।
  - 20 **"No cost over Run and Penalty (for time over run) Clause"** लागू होगा। **In case of Non completion of Project within the time given by the client the delay in Completion of Project after given time the Penalty will be charged at rate of 1% per week of Project Cost Subject to maximum of 10% of Cost.**
  - 21 निर्माण कार्य को अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में **Debitable Agency** से कार्य कराया जायेगा, जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
  - 22 निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
    - 1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 25 प्रतिशत।
    - 2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमर्सिबल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
    - 3) संगार्ड-पुताई, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
    - 4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 15 प्रतिशत।
  - 23 कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।
  - 24 जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
  - 25 बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 6 माह पश्चात् अवमुक्त की जायेगी।
  - 26 किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 का निर्णय अन्तिम होगा।

(दिनेश सिंह)  
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपि:-

- 1- महाप्रबन्धक (परि0प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
- 2- नोटिस बोर्ड हेतु।

इकाई प्रभारी





# उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(उ० प्र० शासन का एक प्रतिष्ठान)

निर्माण इकाई-आगरा

आई.एस.ओ. 9001: 2015 प्रमाणित

CIN- U 45201 UP 1987 SGC 008642

e-mail:-uppanltd.agra@hotmail.com

पता:- पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा

दिनांक : 29.4.2023

पत्रांक : 100 / पुआनि / नि.ई.आ. / ई-टेण्डरिंग / 22-23

## अल्पकालीन-ई-निविदा सूचना (प्रथम कॉल)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद मथुरा में विभिन्न थानों में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक: 01.05.2023 को समय 14:00 अपरान्ह तक निविदा आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु० में)	निविदा प्रासेसिंग मूल्य (रु० में)	धरोहर धनराशि (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	जनपद मथुरा के थाना नौझील में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य।	400016.00	400.00+G.S.T. निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन


- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति लगाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ पंजीकृत प्रमाण-पत्र, पेनकार्ड, आधार, हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ धरोहर धनराशि (Earnest Money) की यू०टी०आर० प्रपत्र जमा कराना होगा। धरोहर धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई आगरा के उपरोक्त बैंक खाता संख्या: 0193101018810, IFSC Code: CNRB0000193, Canara Bank Jaipur House Colony, Agra. में जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा-282010 में किसी भी कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे तक रु० 118.00 (जी०एस०टी० सहित) नकद देकर दिनांक 29.04.2023 तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर दिनांक: 01.05.2022 के लिए टेण्डर तिथि अंकित हो, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय समय 11.00 बजे से 14.00 तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटी में डाल दिया जाये।
- निर्धारित समय 14.00 बजे के बाद निविदा डालने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- निविदा फार्म में आगणन की लागत से कम प्रतिशत को दर्शाते हुए निविदा भरी जायेगी। किसी टेण्डर में जो भी प्रतिशत निविदा में अंकित किया जाय, उसे स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये। यदि प्रतिशत धनराशि स्पष्ट रूप से अंकित नहीं की जाती है तो टेण्डर फार्म बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। टेण्डर लिफाफे के ऊपर निविदा संख्या का अंकित किया जाना आवश्यक है।
- कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्ष ऋतु को सम्मिलित करते हुए है।
- कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- दीमकरोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य हेतु नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर 10 वर्ष की गारण्टी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
- निविदाओं के खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए अगले कार्य दिवस में न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा कराना एवं अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा कराते हुए अनुबन्ध पूर्ण नहीं होगा तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए अर्नेस्ट मनी जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। जमानत की धनराशि फिक्स डिपोजिट के रूप में ली

- जायेगी। फिक्स डिपाजिट अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड निर्माण इकाई आगरा के नाम बन्धक होना चाहिए जो 15 माह की तिथि तक मान्य होनी चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- 12 निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
  - 13 यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जॉच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा जिससे वसूली की जायेगी।
  - 14 कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु रू0 100.00 का स्टाम्प पेपर एल-1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा कराना होगा।
  - 15 निविदा डालने के लिए किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
  - 16 आयकर आदि की कटौती नियमानुसार किया जायेगा।
  - 17 जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
  - 18 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
  - 19 निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिनों के अन्दर आगणन के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाना चाहिए। यदि नियत समय के अन्दर कार्य पूरा नहीं कराया जाता है तो पेनाल्टी क्लॉज लागू होगा (क्रमांक-15 के अनुरूप) जमानत धनराशि जब्त करते हुए टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।
  - 20 **"No cost over Run and Penalty (for time over run) Clause"** लागू होगा। **In case of Non completion of Project within the time given by the client the delay in Completion of Project after given time the Penalty will be charged at rate of 1% per week of Project Cost Subject to maximum of 10% of Cost.**
  - 21 निर्माण कार्य को अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में **Debitable Agency** से कार्य कराया जायेगा, जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
  - 22 निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
    - 1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 25 प्रतिशत।
    - 2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमर्सिबल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
    - 3) संगार्ड-पुताई, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
    - 4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 15 प्रतिशत।
  - 23 कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।
  - 24 जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
  - 25 बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 6 माह पश्चात् अवमुक्त की जायेगी।
  - 26 किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 का निर्णय अन्तिम होगा।

(दिनेश सिंह)  
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपि:-

- 1- महाप्रबन्धक (परि0प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
- 2- नोटिस बोर्ड हेतु।

  
इकाई प्रभारी



# उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(उ० प्र० शासन का एक प्रतिष्ठान)

निर्माण इकाई-आगरा

आई.एस.ओ. 9001: 2015 प्रमाणित

CIN- U 45201 UP 1987 SGC 008642

e-mail:-uppanltd.agra@hotmail.com

पता:- पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा

दिनांक : 2.5/4/2024.

पत्रांक : 109 / पुआनि / नि.ई.आ. / ई-टेण्डरिंग / 22-23

## अल्पकालीन-ई-निविदा सूचना (प्रथम कॉल)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद मथुरा में विभिन्न थानों में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक: 01.05.2023 को समय 14:00 अपरान्ह तक निविदा आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु० में)	निविदा प्रासेसिंग मूल्य (रु० में)	धरोहर धनराशि (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	जनपद मथुरा के थाना मांट में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य।	400016.00	400.00+G.S.T. निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति लगाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ पंजीकृत प्रमाण-पत्र, पेनकार्ड, आधार, हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ धरोहर धनराशि (Earnest Money) की यू०टी०आर० प्रपत्र जमा कराना होगा। धरोहर धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई आगरा के उपरोक्त बैंक खाता संख्या: 0193101018810, IFSC Code: CNRB0000193, Canara Bank Jaipur House Colony, Agra. में जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा-282010 में किसी भी कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे तक रु० 118.00 (जी०एस०टी० सहित) नकद देकर दिनांक 29.04.2023 तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर दिनांक: 01.05.2022 के लिए टेण्डर तिथि अंकित हो, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय समय 11.00 बजे से 14.00 तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटी में डाल दिया जाये।
- निर्धारित समय 14.00 बजे के बाद निविदा डालने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- निविदा फार्म में आगणन की लागत से कम प्रतिशत को दर्शाते हुए निविदा भरी जायेगी। किसी टेण्डर में जो भी प्रतिशत निविदा में अंकित किया जाय, उसे स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये। यदि प्रतिशत धनराशि स्पष्ट रूप से अंकित नहीं की जाती है तो टेण्डर फार्म बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। टेण्डर लिफाफे के ऊपर निविदा संख्या का अंकित किया जाना आवश्यक है।
- कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्ष ऋतु को सम्मिलित करते हुए है।
- कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- दीमकरोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य हेतु नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर 10 वर्ष की गारण्टी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
- निविदाओं के खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए अगले कार्य दिवस में न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा कराना एवं अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा कराते हुए अनुबन्ध पूर्ण नहीं होगा तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए अर्नेस्ट मनी जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। जमानत की धनराशि फिक्स डिपोजिट के रूप में ली

- जायेगी। फिक्स डिपोजिट अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड निर्माण इकाई आगरा के नाम बन्धक होना चाहिए जो 15 माह की तिथि तक मान्य होनी चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- 12 निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
  - 13 यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जाँच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा जिससे वसूली की जायेगी।
  - 14 कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु रू0 100.00 का स्टाम्प पेपर एल-1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा कराना होगा।
  - 15 निविदा डालने के लिए किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
  - 16 आयकर आदि की कटौती नियमानुसार किया जायेगा।
  - 17 जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
  - 18 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
  - 19 निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिनों के अन्दर आगणन के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाना चाहिए। यदि नियत समय के अन्दर कार्य पूरा नहीं कराया जाता है तो पेनाल्टी क्लॉज लागू होगा (क्रमांक-15 के अनुरूप) जमानत धनराशि जब्त करते हुए टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।
  - 20 **“No cost over Run and Penalty (for time over run) Clause”** लागू होगा। **In case of Non completion of Project within the time given by the client the delay in Completion of Project after given time the Penalty will be charged at rate of 1% per week of Project Cost Subject to maximum of 10% of Cost.**
  - 21 निर्माण कार्य को अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में **Debitable Agency** से कार्य कराया जायेगा, जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
  - 22 निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
    - 1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 25 प्रतिशत।
    - 2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमर्सिबल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
    - 3) संगार्ष-पुतार्ष, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
    - 4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 15 प्रतिशत।
  - 23 कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।
  - 24 जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
  - 25 बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 6 माह पश्चात् अवमुक्त की जायेगी।
  - 26 किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 का निर्णय अन्तिम होगा।

(दिनेश सिंह)  
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपि:-

- 1- महाप्रबन्धक (परि0प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
- 2- नोटिस बोर्ड हेतु।

इकाई प्रभारी



# उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(उ० प्र० शासन का एक प्रतिष्ठान)

निर्माण इकाई-आगरा

आई.एस.ओ. 9001: 2015 प्रमाणित

CIN- U 45201 UP 1987 SGC 008642

e-mail: uppantld.agra@hotmail.com

पता:- पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा

पत्रांक : 110 / पुआनि/नि.ई.आ./ई-टेण्डरिंग/22-23

दिनांक : 22.7.2023

## अल्पकालीन-ई-निविदा सूचना (प्रथम कॉल)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद मथुरा में विभिन्न थानों में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक: 01.05.2023 को समय 14:00 अपराह्न तक निविदा आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु० में)	निविदा प्रासेसिंग मूल्य (रु० में)	धरोहर धनराशि (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	जनपद मथुरा के थाना हाईवे में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य।	400016.00	400.00+G.S.T. निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति लगाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ पंजीकृत प्रमाण-पत्र, पेनकार्ड, आधार, हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ धरोहर धनराशि (Earnest Money) की यू०टी०आर० प्रपत्र जमा कराना होगा। धरोहर धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई आगरा के उपरोक्त बैंक खाता संख्या: 0193101018810, IFSC Code: CNRB0000193, Canara Bank Jaipur House Colony, Agra. में जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा-282010 में किसी भी कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे तक रु० 118.00 (जी०एस०टी० सहित) नकद देकर दिनांक 29.04.2023 तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर दिनांक: 01.05.2022 के लिए टेण्डर तिथि अंकित हो, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय समय 11.00 बजे से 14.00 तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटी में डाल दिया जाये।
- निर्धारित समय 14.00 बजे के बाद निविदा डालने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- निविदा फार्म में आगणन की लागत से कम प्रतिशत को दर्शाते हुए निविदा भरी जायेगी। किसी टेण्डर में जो भी प्रतिशत निविदा में अंकित किया जाय, उसे स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये। यदि प्रतिशत धनराशि स्पष्ट रूप से अंकित नहीं की जाती है तो टेण्डर फार्म बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। टेण्डर लिफाफे के ऊपर निविदा संख्या का अंकित किया जाना आवश्यक है।
- कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्ष ऋतु को सम्मिलित करते हुए है।
- कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- दीमकरोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य हेतु नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर 10 वर्ष की गारण्टी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
- निविदाओं के खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए अगले कार्य दिवस में न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा कराना एवं अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा कराते हुए अनुबन्ध पूर्ण नहीं होगा तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए अर्नेस्ट मनी जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। जमानत की धनराशि फिक्स डिपोजिट के रूप में ली

- जायेगी। फिक्स डिपाजिट अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड निर्माण इकाई आगरा के नाम बन्धक होना चाहिए जो 15 माह की तिथि तक मान्य होनी चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- 12 निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
  - 13 यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जॉच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा जिससे वसूली की जायेगी।
  - 14 कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु रू0 100.00 का स्टाम्प पेपर एल-1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा कराना होगा।
  - 15 निविदा डालने के लिए किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
  - 16 आयकर आदि की कटौती नियमानुसार किया जायेगा।
  - 17 जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
  - 18 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
  - 19 निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिनों के अन्दर आगणन के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाना चाहिए। यदि नियत समय के अन्दर कार्य पूरा नहीं कराया जाता है तो पेनाल्टी क्लॉज लागू होगा (क्रमांक-15 के अनुरूप) जमानत धनराशि जब करते हुए टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।
  - 20 **"No cost over Run and Penalty (for time over run) Clause"** लागू होगा। **In case of Non completion of Project within the time given by the client the delay in Completion of Project after given time the Penalty will be charged at rate of 1% per week of Project Cost Subject to maximum of 10% of Cost.**
  - 21 निर्माण कार्य को अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में **Debitable Agency** से कार्य कराया जायेगा, जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
  - 22 निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
    - 1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 25 प्रतिशत।
    - 2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमर्सिबल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का- 30 प्रतिशत।
    - 3) संगारई-पुताई, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
    - 4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 15 प्रतिशत।
  - 23 कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।
  - 24 जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
  - 25 बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 6 माह पश्चात् अवमुक्त की जायेगी।
  - 26 किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 का निर्णय अन्तिम होगा।

(दिनेश सिंह)  
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपि:-

- 1- महाप्रबन्धक (परि0प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेवसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
- 2- नोटिस बोर्ड हेतु।

इकाई प्रभारी



# उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(उ० प्र० शासन का एक प्रतिष्ठान)

**निर्माण इकाई-आगरा**

आई.एस.ओ. 9001: 2015 प्रमाणित

CIN- U 45201 UP 1987 SGC 008642

e-mail:-uppanltd.agra@hotmail.com

पता:- पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा

पत्रांक : 111 /पुआनि/नि.ई.आ./ई-टेण्डरिंग/22-23

दिनांक : 29.04.2023

## अल्पकालीन-ई-निविदा सूचना (प्रथम कॉल)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद मथुरा में विभिन्न थानों में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक: 01.05.2023 को समय 14:00 अपराह्न तक निविदा आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु० में)	निविदा प्रासेसिंग मूल्य (रु० में)	धरोहर धनराशि (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	जनपद मथुरा के थाना जमुनापार में स्थायी महिला बाशरूम/ट्वायलेट के निर्माण कार्य।	400016.00	400.00+G.S.T. निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	90 दिन


- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति लगाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ पंजीकृत प्रमाण-पत्र, पेनकार्ड, आधार, हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ धरोहर धनराशि (Earnest Money) की यू०टी०आर० प्रपत्र जमा कराना होगा। धरोहर धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई आगरा के उपरोक्त बैंक खाता संख्या: 0193101018810, IFSC Code: CNRB0000193, Canara Bank Jaipur House Colony, Agra. में जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा-282010 में किसी भी कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे तक रु० 118.00 (जी०एस०टी० सहित) नकद देकर दिनांक 29.04.2023 तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर दिनांक: 01.05.2022 के लिए टेण्डर तिथि अंकित हो, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय समय 11.00 बजे से 14.00 तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटी में डाल दिया जाये।
- निर्धारित समय 14.00 बजे के बाद निविदा डालने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- निविदा फार्म में आगणन की लागत से कम प्रतिशत को दर्शाते हुए निविदा भरी जायेगी। किसी टेण्डर में जो भी प्रतिशत निविदा में अंकित किया जाय, उसे स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये। यदि प्रतिशत धनराशि स्पष्ट रूप से अंकित नहीं की जाती है तो टेण्डर फार्म बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। टेण्डर लिफाफे के ऊपर निविदा संख्या का अंकित किया जाना आवश्यक है।
- कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्ष ऋतु को सम्मिलित करते हुए है।
- कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- दीमकरोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य हेतु नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर 10 वर्ष की गारण्टी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
- निविदाओं के खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए अगले कार्य दिवस में न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा कराना एवं अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा कराते हुए अनुबन्ध पूर्ण नहीं होगा तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए अर्नेस्ट मनी जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। जमानत की धनराशि फिक्स डिपोजिट के रूप में ली

- जायेगी। फिक्स डिपाजिट अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड निर्माण इकाई आगरा के नाम बन्धक होना चाहिए जो 15 माह की तिथि तक मान्य होनी चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी।
- 12 निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
  - 13 यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जॉच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकोर उत्तरदायी हांगा जिसस वसूली की जायेगी।
  - 14 कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु रू0 100.00 का स्टाम्प पेपर एल-1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा कराना होगा।
  - 15 निविदा डालने के लिए किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नही दी जायेगी।
  - 16 आयकर आदि की कटौती नियमानुसार किया जायेगा।
  - 17 जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
  - 18 सशर्त निविदा मान्य नही होगा
  - 19 निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिनों के अन्दर आगणन के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाना चाहिए। यदि नियत समय के अन्दर कार्य पूरा नही कराया जाता है तो पेनाल्टी क्लॉज लागू होगा (क्रमांक-15 के अनुरूप) जमानत धनराशि जब्त करते हुए टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।
  - 20 **"No cost over Run and Penalty (for time over run) Clause"** लागू होगा। **In case of Non completion of Project within the time given by the client the delay in Completion of Project after given time the Penalty will be charged at rate of 1% per week of Project Cost Subject to maximum of 10% of Cost.**
  - 21 निर्माण कार्य को अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में **Debitable Agency** से कार्य कराया जायेगा, जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
  - 22 निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।
    - 1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 25 प्रतिशत।
    - 2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमर्सिबल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का- 30 प्रतिशत।
    - 3) संगार्ड-पुताई, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।
    - 4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 15 प्रतिशत।
  - 23 कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।
  - 24 जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
  - 25 बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 6 माह पश्चात् अवमुक्त की जायेगी।
  - 26 किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 का निर्णय अन्तिम होगा।

(दिनेश सिंह)  
इकाई प्रभारी

**प्रतिलिपि:-**

- 1- महाप्रबन्धक (परि0प्रबध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेवसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
- 2- नोटिस बोर्ड हेतु।

  
इकाई प्रभारी